कार्यकारी सारांश

क) पूर्वपीठीका :-

विद्युत अधिनियम २००३, मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगास राज्यातील वितरण परवानाधारंकाच्या ग्राहकांचे वीजदर निश्चित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. बहुवर्षिय वीजदर विनियम, ५.१. (अ) मधील तरतुदीनुसार महावितरण तर्फे बहुवर्षिय वीजदर याचिका दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०२४ रोजी दाखल केली आहे. मा. आयोगाने सदर याचिकेमधील दिलेल्या माहितीच्या आधारावर माहितीतील तफावत महावितरणला सुचित केले होते. तसेच दिनांक २६ डिसेंबर, २०२४ रोजी महावितरणच्या याचिकेवर मा. आयोगाद्वारे तांत्रिक वैधता सत्र (टी.व्ही.एस.) घेण्यात आले. वरील नियामक प्रक्रीये नंतर, महावितरण तर्फे दिनांक १७ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित याचिका सादर करण्यात आली.

विद्युत अधिनियम २००३, चे कलम ६२ व महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षिय वीजदर विनियम), २०१९ व २०२४ मधील तरतुदीनुसार महावितरणच्या बहुवार्षिक वीजदर याचिकेत खालील बाबींचा समावेश आहे.

- म.वि.नि.आ. (बहुवर्षिय वीजदर विनियम), २०१९ विनियम अंतर्गत वार्षिक लेखांकनावर आधारित आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे अंतिम अचुक समायोजन;
- म.वि.नि.आ. (बहुवर्षिय वीजदर विनियम), २०१९ अंतर्गत उपलब्ध माहिती वर आधारित आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन;
- म.वि.नि.आ. (बहुवर्षिय वीजदर विनियम), २०२४ नुसार, नियंत्रण कालावधीच्या प्रत्येक वर्षासाठी एकूण महसुली आवश्यकता;
- म.वि.नि.आ. (बहुवर्षिय वीजदर विनियम), २०२४ अंतर्गत आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० साठी एकुण महसुली गरज, सद्याचे वीजदरातून अपेक्षित महसूल, अपेक्षित महसुलातील तुट आणि प्रस्तावित वर्गवारी निहाय वीजदर यांचा सुधारित अंदाज.
- आकार पत्रकाचे (शेडयुल् ऑफ चार्जेस) पुनरावलोकन नियंत्रण कालावधी करीता वर्गवारी निहाय अपेक्षित वीजदर.

ब) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चे अंतिम अचुक समायोजन :-

आ. व. २०२२-२३ व आ. व. २०२३-२४ च्या वार्षिक लेखापरिक्षित अहवालावर आधारित आ. व. २०२२-२३ व आ. व. २०२३-२४ ची एकुण महसुली गरज (ए.आर.आर.) अनुक्रमे रुपये १,११,४०२.३३ कोटी आणि रुपये १,२३,७०२.८८ कोटी इतकी असून त्याचे सविस्तर विवेचन खालील तक्त्यात नमुद केले आहे. मा. आयोगाने दिनांक ३१ मार्च २०२३ रोजीच्या मधील मध्यावधी आढावा याचिकेच्या (प्रकरण क्रमांक २२६/२०२२) आदेशान्वये आर्थिक वर्ष २०२२-२३ व आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी मंजुर केलेल्या एकुण महसुलाची गरज व उपलब्ध वास्तविक लेखापरिक्षित माहितीच्या आधारावर आ.व. २०२२-२३ व आ.व. २०२३-२४ करीता अंतिम अचुक समायोजनांचा सारांश खालील तक्त्यात दर्शविण्यात येत आहे.

आ.व. २०२२-२३ चा अंतिम अचुक समायोजन तक्ता

(रुपये कोटी मध्ये)

अ. क्र.	तपशिल	आर्थिक वर्ष २०२२-२३		
		मध्यावधी आढावा आदेशानुसार मंजूर	एप्रिल-मार्च (प्रत्यक्ष)	तफावत
		(अ)	(ब)	(क) = (ब) - (अ)
१	वीज खरेदी खर्च	६९,०५०.९०	८३,९३५.७५	१४,८८४.८५
२	संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च	७,८४५.६३	७,९०५.७८	६०.१५
३	घसारा खर्च	२,६८८.५८	२,७६९.५३	८०.९५
४	कर्ज भांडवलावरील व्याज	९४८.७०	८८८.७६	(५९.९४)
५	खेळत्या भांडवला वरील व्याज	१२३.९८	११५.१८	(८.८०)
६	ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज	४०४.४४	४४८.०२	४३.५८
७	इतर वित्तीय आकार		४९.७९	४९.७९
८	बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद	७३०.५२	९०५.८८	१७५.३६
९	अन्य खर्च	५७.९७	२५२.०७	१९४.१०
१०	प्राप्ती कर		-	-
११	पारेषण अनुज्ञप्तीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार	५,९१५.०७	६,०६७.३५	१५२.२८
१२	प्रोत्साहन/सवलत	३६७.३७	४७७.३७	११०.००
१३	आकस्मिक राखीव निधीचे योगदान		९६.११	९६.११
१४	ओपेक्स योजना	७०.०५	६०.५७	(९.४८)
१५	मागणी बाजू व्यवस्थापन (डीएसएम) खर्च		-	-
१६	भाग भांडवलावरील परतावा	१,९३४.५५	२,१४७.९५	२१३.४०
१७	नियामक दायित्व आकाराचा परतावा		१.४२	१.४२
१८	अतिरिक्त अधिभार परतावा	१८०.००	१६३.८२	(१६.१८)
१९	नफा/तोटा वितरणाचा परिणाम खर्च		२३.९०	२३.९०
२०	आयोगाद्वारे मागील कालावधीसाठीचे मंजूर समायोजन		-	-
२१	मंजूर मागील महसूली तुट	४,०१८.००	४,०१८.००	-
२२	अधिक: पुढील वर्षासाठी MPECS ला केलेल्या प्रदानाचा परिणाम	३१.१४	३१.३९	०.२५
२३	वाढीव आणि ठोक वापरावरील सूट	५४६.४४	१,०४३.६७	४९७.२३
२४	**एकुण महसुली गरज**	**९४,९१३.३४**	**१,११,४०२.३३**	**१६,४८९.००**
२५	वीज विक्रीतून मिळणारा एकुण महसुल	१,००,३२८.६३	९३,२०१.३३	(७,१२७.३०)
२६	वीजदरां व्यतिरिक्त उत्पन्न (नॉन-टॅरिफ)	३१७.९६	६५२.८५	३३४.८९
२७	ओपन ॲक्सेस चार्जेपासूनचे मिळणारा महसूल	२१६.६९	१५७.१७	(५९.५२)
२८	अतिरिक्त वीज विक्रीतुन मिळणारा महसूल	१७५.४९	३१०.०४	१३४.५५
२९	वहन आकारातुन मिळणारा महसूल	-	-	-
३०	अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारा महसूल	११५.५२	५२.४६	(६३.०६)
३१	**एकूण महसूल**	**१,०१,१५४.२८**	**९४,३७३.८५**	**(६,७८०.४४)**
३२	**महसूलातील तुट/ (आधिक्य)**	**(६,२४०.९४)**	**१७,०२८.४८**	**२३,२६९.४२**

आ.व. २०२३-२४ चा अंतिम अचुक समायोजन तक्ता

(रु.कोटी मध्ये)

अ. क्र.	तपशिल	आर्थिक वर्ष २०२३-२४		
		मध्यावधी आढावा आदेशानुसार मंजूर	एप्रिल-मार्च (प्रत्यक्ष)	तफावत
		(ड)	(ई)	(च) = (ई) - (ड)
१	वीज खरेदी खर्च	७२,६४५.२२	८४,८६७.३३	१२,२२२.११
२	संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च	८,२४२.५५	९,३३९.११	१,०९६.५६

अ. क्र.	तपशिल	आर्थिक वर्ष २०२३-२४		
		मध्यावधी आढावा आदेशानुसार मंजूर	एप्रिल-मार्च (प्रत्यक्षं)	तफावत
		(ड)	(ई)	(च) = (ई) - (ड)
३	घसारा खर्च	२,७६२.३६	२,७२५.३९	(३६.९७)
४	कर्ज भांडवलावरील व्याज	८२६.१७	७७९.७२	(४६.४५)
५	खेळत्या भांडवला वरील व्याज	१२५.७५	१३०.८२	५.०८
६	ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज	४२४.६६	६९०.९३	२६६.२७
७	इतर वित्तीय आकार		४३.७१	४३.७१
८	बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद	७३०.५२	९८३.७१	२५३.१८
९	अन्य खर्च	६०.८७	२३१.९३	१७१.०६
१०	प्राप्ती कर		-	-
११	पारेषण अनुज्ञप्तीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार	८,५९३.७२	८,६६६.७७	७३.०५
१२	प्रोत्साहन/सवलत	३८५.७३	५६१.६३	१७५.९०
१३	आकस्मिक राखीव निधीचे योगदान	-	१७४.२९	१७४.२९
१४	ओपेक्स योजना	८४.४५	४८.४१	(३६.०४)
१५	मागणी बाजू व्यवस्थापन (डीएसएम) खर्च		-	-
१६	भाग भांडवलावरील परतावा	१,९४६.३५	२,२६२.७०	३१६.३५
१७	नियामक दायित्व आकाराचा परतावा	-	२.७७	२.७७
१८	अतिरिक्त अधिभार परतावा	१८०.००	१६८.१३	(११.८७)
१९	नफा/तोटा वितरणाचा परिणाम खर्च	-	४५६.७५	४५६.७५
२०	आयोगाद्वारे मंजूर मागील कालावधीसाठीचे समायोजन	४,९२५.००	४,९२५.००	-
२१	मंजूर मागील महसूली तुट	५,५८५.००	५,५८५.००	-
२२	अधिक: पुढील वर्षासाठी MPECS ला केलेल्या प्रदानाचा परिणाम	२८.१३	२८.३८	०.२५
२३	वाढीव आणि ठोक वापरावरील सूट	४२६.४५	१,०३०.४०	६०३.९५
२४	**एकुण महसुली गरज**	**१,०७,९७२.९३**	**१,२३,७०२.८८**	**१५,७२९.९५**
२५	वीज विक्रीतून मिळणारा एकुण महसुल	१,०६,९९०.००	१,१३,३७३.१५	६,३८३.१५
२६	वीजदरां व्यतिरिक्त उत्पन्न (नॉन-टॅरिफ)	३३३.८६	५०४.९२	१७१.०६
२७	ओपन ॲक्सेस चार्जेसमधून मिळणारा महसूल	२१४.७६	२७०.८५	५६.१०
२८	अतिरिक्त वीज विक्रीतुन मिळणारा महसूल	-	२८८.५१	२८८.५१
२९	वहन आकारातुन मिळणारा महसूल	-	-	-
३०	अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारा महसूल	११२.६३	८०.५०	(३२.१४)
३१	**एकूण महसूल**	**१,०७,६५१.२५**	**१,१४,५१७.९३**	**६,८६६.६८**
३२	**महसूलातील तुट/ (आधिक्य)**	**३२१.६८**	**९,१८४.९५**	**८,८६३.२६**

महावितरण असे नमुद करते की, सर्व ग्राहकांना दर्जेदार व विश्वासार्ह वीजपुरवठा देण्यास महावितरण कटीबध्द आहे. मा. आयोगाच्या आदेशानुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार कृषी ग्राहकांना वीजपुरवठा करण्यात येत आहे. महावितरणने सर्व-कृषी/शेती वाहिनीवर स्वयंचलित मीटर वाचन (Automatic Meter Reading) यंत्रणावर आधारित मीटर टप्प्या-टप्प्याने बसविण्याचा उपक्रम सुरु केले आहे. कृषी वाहिनींवर महावितरणकडून स्वयंचलित मीटर यंत्रणा कार्यान्वित करुन कृषी ग्राहकांना महावितरणकडुन फीडर इनपुट आधारित निर्देशांक प्रमाणे बिलिंग होण्याकरिता पुढाकार घेण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत महावितरणकडुन २००० कृषी-रहित वाहिनींवर स्वयंचलित मीटर वाचन यंत्रणा असलेले मीटर बसविण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

आ.व. २०२२-२३ मध्ये महानिर्मिती, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन इंडिया लि., नॅशनल पॉवर कॉर्पोरेशन इडिया लि. यांच्या वीज खरेदी खर्चात झालेली वाढ व कायदयातील बदलामुळे (change in law) वीज खरेदी खर्चातील वाढ व तसेच आ.व. २०२२-२३ करीता मंजूर वर्गवारीतील वीज विक्री मधून प्राप्त झालेल्या महसूलातील घट, ही तफावतीची मुख्य कारणे आहेत. तसेच आ.व. २०२३-२४ मध्ये वीज खरेदी खर्चात झालेली वाढ, संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्चात झालेली वाढ, वेतन वाढीचे तरतुदीमुळे व त्याअनुषंगाने अनुदान देणाऱ्या वर्गवारीतील वीज विक्रीतील वाढीव महसूलातील घट, ही तफावतीची मुख्य कारणे आहेत.

ख) आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी तात्पुरते समायोजन:-

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी ची एकुण महसूली गरज ही पहिल्या सहा महिन्याची उपलब्ध आकडेवारीवर व उर्वरित सहा महिन्यांकरीता प्रस्तावित आकडेवारी वर आधारित आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या वार्षिक तात्पुरते समायोजनावर आधारीत आ.व. २०२४-२५ ची एकुण महसुली गरज रु. १,३१,०३०.७३ कोटी रुपये इतकी असून त्याचे सविस्तर विवेचन खालील तक्त्यात नमुद केले आहे. मा. आयोगाने दि. ३१.०३.२०२३ रोजीच्या मध्यावधी आढावा याचिकेच्या (प्र. क्र. २२६/२०२२) आदेशान्वये आ.व. २०२४-२५ साठी मान्यता दिलेल्या एकुण महसुलाच्या गरजेच्या तुलनेत आ.व. २०२४-२५ साठीच्या अंदाजित खर्चाची तुलना खालील तक्त्यात दर्शविण्यात येत आहे.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी तात्पुरते समायोजन तक्ता

(रु. कोटी मध्ये)

तपशील	आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (मंजूर)	आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (अंदाजे)	तफावत
वीज खरेदी खर्च	७३,६२८.९५	८४,२८५.९२	१०,६५६.९७
संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च	८,६५९.५५	९,८५५.३१	१,१९५.७६
घसारा खर्च	२,८२०.६०	३,६०३.४४	७८२.८४
कर्ज भांडवलावरील व्याज	६७०.११	८५४.७३	१८४.६२
खेळत्या भांडवला वरील व्याज	१२७.१८	१४५.६४	१८.४७
ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज	४४५.९०	९००.३४	४५४.४५
इतर वित्तीय आकार		-	-
बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद	७३०.५२	१,०५६.०१	३२५.४९
अन्य खर्च	६३.९१	२९०.४६	२२६.५५
प्राप्ती कर		-	-
पारेषण अनुज्ञप्तीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार	८,६३८.७८	८,६३८.७८	-
प्रोत्साहन/सवलत	४०५.०२	५८९.७१	१८४.६९
आकस्मिक राखीव निधीचे योगदान	-	१९८.०४	१९८.०४
ओपेक्स योजना	१२०.४५	११३.२१	-७.२४
मागणी बाजू व्यवस्थापन (डीएसएम) खर्च			-
भाग भांडवलावरील परतावा	१,९५१.४७	२,१९४.२६	२४२.७९
नियामक दायित्व आकाराचा परतावा	-	१६.६८	१६.६८
अतिरिक्त अधिभार परतावा	१८०.००	१६८.१३	-११.८७
नफा/तोटा वितरणाचा परिणाम खर्च	-	-	-
आयोगाद्वारे मंजूर मागील कालावधीसाठीचे समायोजन	१०,०००.००	१०,०००.००	-
मंजूर मागील महसूली तुट	७,०१७.००	७,०१७.००	-
अधिक: पुढील वर्षासाठी MPECS ला केलेल्या प्रदानाचा परिणाम	२१.१४	२१.१४	-
वाढीव आणि ठोक वापरावरील सूट	५४८.७७	१,०८१.९२	५३३.१५

तपशील	आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (मंजूर)	आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (अंदाजे)	तफावत
STU आकार			
एकुण महसुली गरज	**१,१६,०२९.३५**	**१,३१,०३०.७३**	**१५,००१.३८**
वीज विक्रीतून मिळणारा एकुण महसुल	१,१५,६८२.००	१,२९,४५८.४५	१३,७७६.४५
वीजदरां व्यतिरिक्त उत्पन्न (नॉन-टॅरिफ)	३५०.५५	५३०.१७	१७९.६२
ओपन ॲक्सेस चार्जेसमधून मिळणारा महसूल	२१६.६०	३००.००	८३.४०
अतिरिक्त वीज विक्रीतुन मिळणारा महसूल	-	११२.८७	११२.८७
वहन आकारातुन मिळणारा महसूल	-	-	-
अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारा महसूल	१०९.४६	०.१४	-१०९.३२
एकुण महसूल	**१,१६,३५८.६१**	**१,३०,४०१.६३**	**१४,०४३.०२**
महसूलातील तुट/ (आधिक्य)	**-३२९.२६**	**६२९.१०**	**९५८.३६**

ग) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० या पाचव्या नियंत्रण कालावधी साठी एकुण महसूलाची गरज :-

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० या कालावधीकरीता एकुण महसूलाची गरज, विद्यमान वीजदरातुन मिळणारा अपेक्षित महसूल आणि महसूलातील अपेक्षित तफावत यांचा सुधारित अंदाज हा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षिय वीजदर विनियम), २०२४ च्या तरतुदी व काही अनुमानांच्या आधारे केला गेला आहे.

१) वीज विक्रीचा अंदाज :-

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी वीज विक्रीचा अंदाज मा. आयोगाकडे सादर केलेल्या संसाधन पर्याप्तता आराखडयानुसार (Resource Adequacy Plan) व काही अनुमानांवर आधारीत आहे. सदर संसाधन पर्याप्तता आराखड्यात अंदाजित केलेल्या वीज विक्रीमध्ये विद्युत वाहने, छपरावरील सौर उर्जा व सौर पंपसेट या द्वारे केलेल्या वीज विक्रीचा समावेश करण्यात आलेला नाही. तथापि, महावितरणने बहुवर्षिय वीजदर (एम.वाय.टी.) याचिकेमध्ये वीज विक्रीचा अंदाज करतांना, संसाधन पर्याप्तता आराखडयानुसार वीज विक्रीच्या अंदाजासह विद्युत वाहने, छपरावरील सौर उर्जा व सौर पंपसेट या द्वारे केलेल्या वीज विक्रीचा देखील समावेश केला आहे.

उच्चदाब (वितरण फ्रंचाएझी वगळून) वर्गवारी निहाय वीज विक्रीचा अंदाजित तक्ता

(द.ल.यु.)

प्रवर्ग	आ.व. २०२५-२६	आ.व.२०२६-२७	आ.व.२०२७-२८	आ.व.२०२८-२९	आ.व.२०२९-३०
	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
उच्चदाब-१ औद्योगिक	४३,५९४	४५,९७४	४८,३३४	५०,७५१	५३,२४६
उच्चदाब-२ वाणिज्यिक	२,०६०	२,१३२	२,१६८	२,१९०	२,१९३
उच्चदाब-३ रेल्वे	१३९	१४२	१४५	१४८	१५१
उच्चदाब-४ सार्वजनिक पाणी पुरवठा	२,०१२	२,०९२	२,१७३	२,२५४	२,३३६
उच्चदाब-५ कृषी	२,०११	२,११४	२,२०६	२,२९१	२,३८१
उच्चदाब-६ गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)	२४०	२५१	२६०	२६८	२७५
उच्चदाब -८ सार्वजनिक सेवा	१,२४५	१,२६५	१,२८७	१,३०९	१,३३२
महानिर्मिती सहाय्यकारी पुरवठा	३५७	३६५	३७३	३८०	३८८
उच्चदाब -९ विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन	९९८	१,६०६	२,४१४	३,५७४	५,११६
एकुण उच्चदाब विक्री	**५२,६५६**	**५५,९४१**	**५९,३५९**	**६३,१६६**	**६७,४१८**

लघुदाब (वितरण फ्रेंचाएजी वगळुन) वर्गवारीसाठी वीज विक्री अंदाज

(द.ल.यु.)

प्रवर्ग	आ.व.२०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व.२०२७-२८	आ.व. २०२८-२९	आ.व.२०२९-३०
	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
लघुदाब १ घरगुती बीपीएल	३८	४०	४२	४४	४६
लघुदाब १ घरगुती	२८,७१५	३०,३२४	३१,६८६	३२,८०४	३३,६९२
लघुदाब २ बिगर घरगुती	८,०३५	८,५३५	८,८६८	९,१३२	९,३३०
लघुदाब ३ सार्वजनिक पाणी पुरवठा	९९९	१,०३४	१,०७०	१,१०५	१,१४१
लघुदाब ४ कृषी	३८,०७६	३८,४७०	३८,७८४	३९,०४३	३९,८३७
लघुदाब ५ यंत्रमाग	२,१३५	२,१७८	२,२२१	२,२६६	२,३११
लघुदाब ५ औद्योगिक इतर	११,४१५	१२,९४९	१४,४८३	१६,०४८	१७,६६८
लघुदाब ६ पथदिवे	१,१३२	१,१५८	१,१८३	१,२०८	१,२३४
लघुदाब ७ सार्वजनिक सेवा	८३६	८५४	८७२	८९०	९०७
लघुदाब ८ विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन	२३४	३८६	५८७	८७७	१,२६२
एकूण लघुदाब विक्री	**९१,६१६**	**९५,९२८**	**९९,७९६**	**१,०३,४१७**	**१,०७,४२७**
एकूण वीज विक्री	**१,४४,२७१**	**१,५१,८६९**	**१,५९,१५५**	**१,६६,५८३**	**१,७४,८४६**

आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० साठी एकूण वीज विक्री अंदाज (वितरण फ्रेंचाएजी सह)

(द.ल.यु.)

तपशील	आ.व.२०२५-२६	आ.व.२०२६-२७	आ.व.२०२७-२८	आ.व.२०२८-२९	आ.व.२०२९-३०
	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
महावितरणकडून वीज विक्री	**१,४४,२७१**	**१,५१,८६९**	**१,५९,१५५**	**१,६६,५८३**	**१,७४,८४६**
अधिक: वितरण फ्रंचाएझी क्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय विक्री (भिवंडी)	३,६३९	३,६९१	३,७४५	३,८०१	३,८५९
अधिक: वितरण फ्रंचाएझी क्षेत्रातील प्रवर्गनिहाय विक्री (मालेगाव)	८९४	९२७	९६१	९९७	१,०३४
अधिक: वितरण फ्रंचाएझी क्षेत्रातील प्रवर्ग निहाय विक्री (ठाणे)	६३७	६६१	६८७	७१४	७४२
वितरण फ्रंचाएझीसह वीज विक्री	**१,४९,४४१**	**१,५७,१४८**	**१,६४,५४९**	**१,७२,०९४**	**१,८०,४८१**
अधिकः ओपन ॲक्सेस सेल्स (पारंपारिक)	४,०२६	४,०३४	४,०४२	४,०४९	४,०५७
अधिकः ओपन ॲक्सेस सेल्स (गैर-पारंपारिक)	४,९४१	६,१९६	७,३१३	८,३३२	९,१५४
एकूण वीज विक्री	**१,५८,४०८**	**१,६७,३७९**	**१,७५,९०४**	**१,८४,४७५**	**१,९३,६९२**

२) वीज खरेदी :-

महावितरण मुख्यत: महानिर्मिती, केंद्रीय व खासगी संस्थांकडून वीज खरेदी करत असते. एकुण वीज खरेदीमध्ये ६०% वीज औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांकडून खरेदी करण्यात येते.

महावितरणने आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० या पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी, महावितरणद्वारे मा. आयोगाला सादर केलेल्या संसाधन पर्याप्तता अहवालावर आधारीत, संसाधन निहाय क्षमतावाढ (Resourcewise Capacity) प्रस्तावित केले आहे. वीज खरेदी खर्च हा मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच (MoD) तत्वावर आधारित केलेला आहे. पुढील नियंत्रण कालावधीमध्ये मोठया प्रमाणात नुतनशील उर्जा उपलब्ध होत असल्याकारणाने वीज खरेदी खर्चात घट होणे अपेक्षित आहे.

नियंत्रण कालावधीमध्ये महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी वीज निर्मिती संचाच्या तांत्रिक किमान पातळीच्या मर्यादेमुळे दर वर्षी अतिरिक्त वीज शिल्लक राहू शकते तीला महावितरणचा IEX मध्ये विकण्याचा उद्देश आहे.

आ.व. २०२५-२०२६ ते आ.व. २०२९-३० या कालावधीसाठी स्त्रोतनिहाय वीज खरेदीचा प्रमाण व खर्चाचा सारांश खालील प्रमाणे आहे.

आ. व. २०२५-२६ ते आ. व. २०२७-२८ साठी स्त्रोतनिहाय वीज खरेदीचा प्रमाण व खर्च

	आर्थिक वर्ष २०२५-२६			आर्थिक वर्ष २०२६-२७			आर्थिक वर्ष २०२७-२८		
तपशिल	**मात्रा (द.ल.यु.)**	**एकुण (कोटी रु.)**	**दर (रु./युनिट)**	**मात्रा (द.ल.यु.)**	**एकुण (कोटी रु.)**	**दर (रु./युनिट)**	**मात्रा (द.ल.यु.)**	**एकुण (कोटी रु.)**	**दर (रु./युनिट)**
नुतनशील उर्जा	४४,५५८	१६,२२८	३.६४	८६,४३७	२९,३६३	३.४	९५,९७७	३२,५२२	३.३९
एनपीसीआयएल	८,३४७	३,३१६	३.९७	८,३४७	३,४२०	४.१	८,३४७	३,५२८	४.२३
महानिर्मिती	५१,७०२	३३,९४४	६.५७	४६,९५४	३२,७२०	६.९७	४७,३७८	३५,४६८	७.४९
एनटीपीसी	३६,६६१	१५,२९१	४.१७	३४,१७७	१५,०७७	४.४१	३४,२२३	१५,६६६	४.५८
जेएसडब्ल्यु	१,१५९	७५६	६.५२	७५५	५८४	७.७३	७६३	६११	८.०१
सीजीपीएल	५,३२६	२,२६३	४.२५	५,३२६	२,३३९	४.३९	५,३२६	२,४१५	४.५३
एपीएमएल	२१,४८४	११,८६०	५.५२	२०,२२२	११,४५५	५.६६	२०,७४५	११,९०८	५.७४
जीएमआर एनर्जी	१,५१२	६५३	४.३२	१,४६०	६४३	४.४१	१,४५०	६४७	४.४६
रतन इंडिया	९,१०९	३,०९४	३.४	८,७९१	३,०४६	३.४६	८,७५०	३,०७३	३.५१
एसडब्ल्युपीजीएल २४० मे.वॅ.	१,७३०	७७६	४.४९	१,७२७	७७६	४.५	१,७२४	७७७	४.५१
हायड्रो पॉवर प्लॉन्ट	५,०७५	१,२१३	२.३९	५,३३३	१,३५१	२.५३	६,०७३	१,६६१	२.७४
पीजीसीआयएल शुल्क	-	३,९०२	-		४,०९७			४,३०२	
अल्प मुदतीचा पुरवठा	१,००८	६६१	६.५५						
बँकीग पॉवर	-१,०११	-	-						
एकूण उपलब्ध ऊर्जा	**१,८६,२०३**	**९३,९५७**	**५.०५**	**२,१८,१७३**	**१,०४,८७२**	**४.८१**	**२,२९,३८८**	**१,१२,५७९**	**४.९१**

आर्थिक वर्ष २०२८-२९ ते २०२९-३० साठी स्त्रोतनिहाय वीज खरेदीचे प्रमाण आणि खर्च

	आर्थिक वर्ष २०२८-२९			आर्थिक वर्ष २०२९-३०		
तपशिल	**मात्रा (द.ल.यु.)**	**एकुण (कोटी रु.)**	**दर (रु./युनिट)**	**मात्रा (द.ल.यु.)**	**एकुण (कोटी रु.)**	**दर (रु./युनिट)**
नुतनशील उर्जा	१,०५,९४४	३५,६५८	३.३७	१,०९,८०४	३७,१९२	३.३९
एनपीसीआयएल	८,३४७	३,६३९	४.३६	८,३४७	३,७५३	४.५
महानिर्मिती	४५,१५२	३४,८९४	७.७३	४०,१११	३२,३०५	८.०५
एनटीपीसी	३३,९२६	१६,१२१	४.७५	३९,१७०	१९,२४६	४.९१
जेएसडब्ल्यु	६०३	५४६	९.०६	३६२	३८१	१०.५४
सीजीपीएल	५,३२६	२,५०१	४.७	५,३२६	२,५८८	४.८६
एपीएमएल	२५,३०१	१४,९३४	५.९	३०,५२८	१८,१२३	५.९४
जीएमआर एनर्जी	१,४६८	६६१	४.५	१,४८०	६७७	४.५७
रतन इंडिया	८,८३२	३,१३१	३.५४	८,९०५	३,१९०	३.५८
एसडब्ल्युपीजीएल २४० मे.वॅ.	१,७२८	७७९	४.५१	१,७२९	७८१	४.५२
हायड्रो पॉवर प्लॉन्ट	६,३२०	१,७६८	२.८	६,३२०	१,८१०	२.८६
पीजीसीआयएल शुल्क		४,५१७			४,७४३	
अल्प मुदतीचा पुरवठा						
बँकीग पॉवर						
एकूण उपलब्ध ऊर्जा	**२,३८,०६३**	**१,१९,१४९**	**५**	**२,४३,३३७**	**१,२४,७९०**	**५.१३**

३. वितरण हानी :-

महावितरण वितरण हानी कमी करण्याकरीता प्रयत्नशिल आहे. महावितरणने दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मा. आयोगाकडे संसाधन पर्याप्तता अहवाल, २०२४ सादर केला आहे. सदर अहवालात आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते आ.व. २०२३-२४ पर्यंत (कोविड-१९ चे वर्ष वगळुन) चे मासिक वितरण हानीच्या माहितीच्या आधारावर वेळ शृंखला प्रतिकृती

(SARIMA) वर पुढील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० ची वितरण हानीची (%) गणना करण्यात आली आहे. सदर संसाधन पर्याप्तता (R.A.) आराखड्यामध्ये अतिउच्दाब (E.H.V) वर्गवारीतील ग्राहकांच्या वीज विक्रीचा अंदाज देखील घेण्यात आला आहे. पुढील पाचव्या नियंत्रण कालावधी करीता, अतिउच्चदाब (E.H.V) वर्गवारीची वीज विक्री वगळून वितरण हानी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

आ. व. २०२५-२६ ते आ. व. २०२९-३० या नियंत्रण कालावधीसाठी प्रस्तावित वितरण हानी

तपशील	आ.व.२०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व.२०२७-२८	आ.व. २०२८-२९	आ.व.२०२९-३०
वितरण हानी (उच्च दाब वीज विक्री वगळुन)	१५.०६%	१४.९८%	१४.७८%	१४.५४%	१४.३०%

४) वायर व पुरवठा व्यवसायाचे विलगीकरण :-

बहुवर्षिय वीजदर विनियम २०२४, कलम ८९ अन्वये एकुण वार्षिक महसूली गरजेचे, वायर व पुरवठा या व्यवसायांमध्ये विलगीकरण करण्याबाबत प्रावधान करण्यात आलेले आहे. महावितरणने विनियमांतील तरतुदींनुसार विविध घटकांचे वायर व पुरवठा असे विलगीकरण केलेले आहे.

५) आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० या कालावधीसाठी एकुण वार्षिक महसुली गरज :-

आ.व २०२५-२६ ते आ. व. २०२९-३० या कालावधी साठी एकुण वार्षिक महसुली गरज ही विविध घटकांच्या अंदाजानुसार व बहुवर्षिय वीजदर विनियम २०२४ च्या तरतुदी नुसार प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. तसेच मंजूर वीज दरांनुसार वीज विक्री केल्यास मिळणारा महसूल व निर्माण होणारी महसूली तुट, वर्षनिहाय प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

आ. व. २०२५-२६ ते आ. व. २०२९-३० साठीची एकूण महसुली गरज

(रु. कोटीं मध्ये)

तपशील	आर्थिक वर्ष २०२५-२६	आर्थिक वर्ष २०२६-२७	आर्थिक वर्ष २०२७-२८	आर्थिक वर्ष २०२८-२९	आर्थिक वर्ष २०२९-३०
	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
वीज खरेदी खर्च	९३,९५६.५०	१,०४,८७०.६८	१,१२,५७७.९५	१,१९,१४८.५५	१,२४,७८९.५२
संचलन व सुव्यवस्थेवरील खर्च	१२,५४९.८५	१५,२८३.१२	१७,५५६.०२	१९,५४४.८८	२१,३४४.५७
घसारा खर्च	३,९८७.६२	३,७२०.४२	३,४४६.५४	३,३३२.६८	३,१९०.५८
कर्ज भांडवलावरील व्याज	१,२५९.८४	१,७२५.२३	१,८८९.७२	१,८७४.५७	१,७६०.७६
खेळत्या भांडवला वरील व्याज	१९०.६२	२३४.५०	२६१.०९	२७३.९३	२८०.४९
ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज	१,००६.०८	१,१०६.६८	१,२१७.३५	१,३३९.०९	१,४७३.००
इतर वित्तीय आकार	-	-	-	-	-
बुडीत व साशंक रक्कमेसाठीची तरतुद	१,१०२.८९	१,१४९.९७	१,१९९.३३	१,२५१.०७	१,३०५.३२
अन्य खर्च	३०४.९८	३२०.२३	३३६.२४	३५३.०५	३७०.७०
प्राप्ती कर	-	-	-	-	-
पारेषण अनुज्ञप्तीधारकांस प्रदान केलेला पारेषण आकार व म.रा.भार प्रेषण केंद्राचे शुल्क तथा आकार	९,७७८.२४	१०,१५५.८५	११,८६५.८४	१३,२८८.८०	१४,४०७.५०
प्रोत्साहन/सवलत	६१९.२०	६५०.१६	६८२.६७	७१६.८०	७५२.६४
आकस्मिक राखीव निधीचे योगदान	२२९.९२	२८८.७७	३३६.२९	३६१.६१	३८६.३७
ओपेक्स योजना	१३७.५०	१३४.२६	१३६.४३	१३६.४३	१३६.४३
मागणी बाजू व्यवस्थापन (डीएसएम) खर्च	४.५४				

तपशील	आर्थिक वर्ष २०२५-२६ प्रस्तावित	आर्थिक वर्ष २०२६-२७ प्रस्तावित	आर्थिक वर्ष २०२७-२८ प्रस्तावित	आर्थिक वर्ष २०२८-२९ प्रस्तावित	आर्थिक वर्ष २०२९-३० प्रस्तावित
भाग भांडवलावरील परतावा	२,७७६.२०	३,२३४.९१	३,४८४.९९	३,५७१.०२	३,६४५.७४
नियामक दायित्व आकाराचा परतावा	१६.६८	१६.६८	१६.६८	१६.६८	१६.६८
अतिरिक्त अधिभार परतावा	१६८.१३	१६८.१३	१४५.२४	-	-
नफा/तोटा वितरणाचा परिणाम खर्च	-	-	-	-	-
आयोगाद्वारे मागील कालावधीसाठीचे मंजूर समायोजन					
मंजूर मागील महसूली तुट					
अधिक: पुढील वर्षासाठी MPECS ला केलेल्या प्रदानाचा परिणाम					
वाढीव आणि ठोक वापरावरील सूट	१,१३६.०२	१,१९२.८२	१,२५२.४६	१,३१५.०८	१,३८०.८३
STU शुल्क	७.४२	७.८२	७.९३	८.११	८.१२
एकुण महसुली गरज	**१,२९,२२७.६६**	**१,४४,२६०.२२**	**१,५६,४१२.७६**	**१,६६,५३२.३४**	**१,७५,२४९.२६**
वीज विक्रीतून मिळणारा एकुण महसुल	१,३४,२७६.८९	१,४१,५००.३३	१,४८,२५४.९५	१,५४,८६६.३७	१,६१,४७१.२१
वीजदरां व्यतिरिक्त उत्पन्न (नॉन-टॅरिफ)	५५६.६८	५८४.५१	६१३.७३	६४४.४२	६७६.६४
ओपन ॲक्सेस चार्जेपासूनचे मिळणारा महसूल	३२५.३५	३९०.१८	४६६.९८	५१०.५९	५६२.६५
अतिरिक्त वीज विक्रीतुन मिळणारा महसूल	७१०.८४	३,३४६.७७	३,६७६.७६	५,२९९.१६	७,०७४.०४
वहन आकारातुन मिळणारा महसूल					
अतिरिक्त अधिभारातून मिळणारा महसूल	०.१४	०.१४	०.१५	०.१५	०.१६
एकूण महसूल	**१,३५,८६९.८९**	**१,४५,८२१.९३**	**१,५३,०१२.५८**	**१,६१,३२०.६९**	**१,६९,७८४.७०**
महसूलातील तुट/ (आधिक्य)	**(६,६४२.२३)**	**(१,५६१.७१)**	**३,४००.१८**	**५,२११.६६**	**५,४६४.५६**

घ) अतिरिक्त मागणी :-

महावितरणने दि. ३१ मार्च, २०२३ रोजीच्या मध्यावधी (M.T.R.) याचिकेवरच्या (प्रकरण क्रमांक १०२/२०२३) आदेशाचा पुनर्विचार करण्यासाठी, पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. मा. आयोगाने, दिनांक ३१ डिसेंबर २०२४ च्या आदेशानुसार रु. ३९८.१५ कोटी रुपयांच्या खर्चाची मंजूरी दिलेली आहे. तसेच प्रशासन व सामान्य खर्चातील (A & G) रु. ३६.३८ कोटी, "इतर योजना खर्चा" करीता मंजूर केली आहे व तसेच सदर एकूण मंजूर रुपये ४३४.५३ कोटींचा खर्च अतिरिक्त दावा म्हणून बहुवर्षिय याचिकेत समावेश करण्याची परवानगी दिली आहे. महावितरणने वर नमुद आदेशान्वये पुनर्विचार याचिकेमध्ये मंजूर केलेल्या खर्चाची मागणी केली आहे. ती खालील प्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

पुनर्विचार आदेश आणि रकमेचा परिणाम

तपशील	रक्कम (कोटी रुपयांत)
पुनर्विचार आदेशाचा परिणाम	३९८.१५
इतर मंजूर खर्च	३६.३८
एकुण	**४३४.५३**

च) धारण खर्च (कॅरींग कॉस्ट) :-

मा. आयोग महसूलातील तुट/ अतिरिक्त खर्चावरील धारण खर्चास मान्यता देत असते. त्यानुसार महावितरणने वसूल न झालेली तुट आणि पुनर्विचार याचिकेतील आदेशाचा परिणाम यांच्या वरील धारण खर्चाची गणना केलेली आहे.

छ) वीजदरामार्फत एकुण मसूलाची गरज :-

आ.व. २०२२-२३ आणि आ.व. २०२३-२४ साठीची महसूलातील तुट व आ.व. २०२४-२५ साठीचे तात्पुरते समायोजन, पुनर्विचार याचिके वरील आदेशाचा परिणाम (मध्यावधी आढावा आदेश (प्रकरण क्रमांक (२२६/२०२२) चे पुनरावलोकन), धारण खर्च व आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० या कालावधीसाठीची अंदाजित महसुली तुट यांचा विचार करुन खालील तक्त्यात नमुद केल्यानुसार रु. ४८,०६० कोटी रुपये ची वसुली, वीजदर वाढीतुन होईल अशी गणना केली आहे.

विजदरामार्फत एकुण महसूलाची गरज

(रु.कोटी मध्ये)

तपशील	रक्कम रु.
आ.व. २०२२-२३ च्या अंतिम अचुक समायोजनापोटी महसुलाची गरज	२३,२६९
आ.व. २०२३-२४ च्या अंतिम अचुक समायोजनापोटी महसूलाची गरज	८,८६३
आ.व. २०२४-२५ च्या तात्पुरते समायोजनापोटी महसुलाची गरज	९५८
आ.व. २०२५-२६ करीताची प्रस्तावित महसुली तुट	(६,६४२)
आ.व. २०२६-२७ करीताची प्रस्तावित महसुली तुट	(१,५६२)
आ.व. २०२७-२८ करीताची प्रस्तावित महसुली तुट	३,४००
आ.व. २०२८-२९ करीताची प्रस्तावित महसुली तुट	५,२१२
आ.व. २०२९-३० करीताची प्रस्तावित महसुली तुट	५,४६५
पुनर्विचार आदेशाचा परिणाम	३९८
बहुवार्षिक (एमवायटी) कालावधीसाठी एकूण महसुली तुट	**३९,३६१**
पुर्वीच्या महसूली तुटीच्या वसुली खर्च (कॅरींग कॉस्ट) /परिणाम आणि नियंत्रण कालावधीतील वसुल न झालेली महसूली तुट	८,६९९
विजदरामार्फत निव्वळ वसुली	**४८,०६०**
बहुवार्षिक (एमवायटी) कालावधी मधील तुट	५,८७२
बहुवार्षिक (एमवायटी) कालावधी वगळून महसुली तुट	४२,१८७

ज) विजदर संरचना:-

महावितरण येथे असे नमुद करु इच्छिते की, कंपनीचे कार्य सुरळित राहण्याकरीता ग्राहकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेच्या संपूर्ण खर्च वेळेत वसुल होणे गरजेचे आहे. विद्युत अधिनियम २००३, बहुवर्षिय वीजदर विनियम व राष्ट्रीय वीजदर धोरणाप्रमाणे मा. आयोग ग्राहकांचे वीजदर ठरवित असते. मा. आयोगाने कार्यक्षमता, अर्थव्यवस्था, प्रभावी कार्यपध्दती तसेच वीज ग्राहकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढावा याकरीता सतत प्रोत्साहन दिलेले आहे. महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत राहण्यासाठी याच तत्वाचा पुढेही अवलंब करण्यात यावा, अशी विनंती महावितरण मा. आयोगास करत आहे.

महावितरणने प्रस्तावित केलेली वीजदर संरचना ही पुढील तत्वांवर आधारीत आहे.

- स्थिर आकाराद्वारे स्थिर खर्चाची परिपूर्तता करण्यासाठी स्थिर आकाराचे सुसूत्रीकरण.
- मोठया प्रमाणात सौर ऊर्जेची उपलब्धता असल्यामुळे, सौर तासामध्ये सवलतीसह सुधारित टीओडी (ToD) वीजदर संरचना.
- ग्रीड समर्थन शुल्क निश्चितीकरण.

- २० केडब्ल्यु (kW) च्यावरील जोडभार असणाऱ्या लघुदाब ग्राहकांसाठी केव्हिएएच (kVAh) वर आधारित बिलिंगची प्रस्तावना.
- स्वयंवापरांसाठी वीज उत्पादन करणारे उत्पादक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs), व गृहीत (डीम्ड) परवानाधारकांसाठी आपातकालीन उपाय व्यवस्था (स्टँडबाय) आकारात सुधारणा.
- सुधारित हरित वीजदर (Green Tariff) - डाटा सेंटर आणि सेमी कंडक्टर सारख्या प्रगतीशील उद्योगांना अतिरिक्त हरीत वीजदर न लावता औद्योगिक वीज दराने हरित आरटीसी (RTC) उर्जा देणे.
- एका पाळीच्या उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना सौर तासांदरम्यान (सकाळी ९.०० ते संध्याकाळी ६.०० वाजेपर्यंत) स्थिर आकारामध्ये सवलत.
- छपरावरील नुतनशील (सौर) ऊर्जानिर्मिती यंत्रना वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांकरीता सुधारित बिलिंग पध्दती.
- पुरवठयाच्या अनेक स्त्रोतांचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांकरीता अतिरिक्त स्थिर/मागणी आकार.
- शासनाद्वारे जारी केलेले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगच्या प्रतिस्थापना व संचालन पायाभुत संरचनेसाठी मार्गदर्शक तत्वानुसार लघुदाब आणि उच्चदाब इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशनांसाठी सिंगल पार्ट टॅरिफ.
- मा. आयोगाने, महावितरणच्या मध्यावधी आढावा याचिका (प्रकरण क्र. २२६/२०२२) वरील आदेशाद्वारे मंजूर केलेले प्रोस्ताहन आणि सवलती कायम.
- नुतनशील ऊर्जा निर्मिती उत्पादकांना व मुक्त प्रवेश ग्राहकांना वाढीव रिॲक्टीव आकार.
- उच्चदाब तसेच लघुदाब वर्गवारीतील ग्राहकांकरीता देयक वाढीव बिलिंग मागणी.

वीजदराची प्रयोज्यता (Applicability) संबंधित प्रस्ताव.

- शुल्क वेळापत्रकाची (Schedule of Charge) सुधारणा.
- राष्ट्रीय वीजदर धोरणामध्ये नमुद केलेल्या सुत्रानुसार परंतु कुठलीही मर्यादा न लावता क्रॉस सबसिडी अधिभार व वहन आकार व वहन आणि मुक्त प्रवेश ग्राहकांना सदर नियंत्रण कालावधीमध्ये प्रस्तावित केल्यप्रमाणे इतर सर्व आकाराची वसुली.

झ) कृषी आणि बिगर कृषी पुरवठयाचे विलगीकरण

मा. आयोगाने प्रभावी देखरेख आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी व तसेच औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांवरुन क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी महावितरणला स्वतंत्र कृषी कंपनी तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. महावितरण नमूद करु इच्छिते की, बहुवर्षिय वीजदर याचिकेमध्ये आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून कृषी आणि बिगर कृषी व्यवसायासाठी स्वतंत्र महसूलाची गरज (ARR) प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

महावितरण नमूद करते की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना (MSKVY 2.0)अंतर्गत मोठया प्रमाणात स्थापन केल्या जात असलेल्या सौर प्रकल्पांमूळे सौरऊर्जित कृषी वाहिनीवर जोडलेल्या ग्राहकांसाठी कमी वीज खरेदी खर्च होईल व त्यामुळे सदर ग्राहकांसाठी सरासरी वीज पुरवठा दर (ACoS) कमी होण्यात मदत होईल.

महावितरणने आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० पर्यंत कृषी ग्राहकांसाठी स्वतंत्रपणे सरासरी वीज पुरवठा दर (ACoS) निश्चित करुन सदर वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी स्वतंत्रपणे वीज आकार प्रस्तावित केले आहे. आ. व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० साठी महावितरण मधील कृषी व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी सरासरी वीज पुरवठा दर (ACoS) खालील तक्त्यामध्ये प्रस्तावित केले आहेत.

आ.व. २०२५-२६ , आ. २०२६-२७, आ.व. २०२७-२८, आ.व. २०२८-२९, व आ.व. २०२९-३० करीता
लघुदाब कृषी ग्राहक व इतर ग्राहकांचे सरासरी वीज पुरवठा दर

सुधारित सरासरी वीज पुरवठा दर (ACoS) (रु./युनिट)	विलगीकरणा पूर्वी	विलगीकरणानंतर	
	एकूण महावितरण	एकूण महावितरण (लघुदाब कृषी वगळून)	• लघुदाब कृषी
आ.व. २०२५-२६	९.४५	१०.९२	५.०५
आ.व. २०२६-२७	९.७५	११.३१	४.८३
आ.व. २०२७-२८	९.८०	११.३८	४.५८
आ.व. २०२८-२९	९.१९	१०.७३	३.८७
आ.व. २०२९-३०	९.१४	१०.६१	३.८८

सरासरी वीज पुरवठा दरात वर्ष निहाय वाढ

वीजदर वाढ	युनिट	आ.व. २०२४-२५	आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८	आ.व. २०२८-२९	आ.व. २०२९-३०
सरासरी वीज पुरवठा दर (ACoS) (रु. /युनिट)	(रु. /युनिट)	९.४५	९.४५	९.७५	९.८०	९.१९	९.१४
सरासरी वीज पुरवठा दरात वर्ष निहाय वाढ	%		०.०%	३.१७%	०.५४%	-६.१९%	-०.५७%

त्र) विजदर पुनरावलोकनाची तर्कमिमांसा :-

महावितरणची महसूली तुट भरुन काढण्याकरीता महावितरण विविध वर्गवारीच्या स्थिर आकार व वीज आकारामध्ये वाढ करण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. सदर दरवाढ ही देश पातळीवर असणाऱ्या महागाई निर्देशांक तसेच वीज खरेदी खर्चातील वाढ, देशांतर्गत कोळशाच्या तुटवडयामुळे होणारे आयात केल्या जाणाऱ्या कोळश्याचे मिश्रण (Coal blending) कायदयांतील बदलांमुळे होणारे खर्च, MSPGCL आणि PGCIL च्या खर्चात वाढ, NPCIL च्या वीजदरांतील सुधारणा, ग्राहक वर्गवारी निहाय वापरातील बदल आणि त्याचा महसुलावर होणारा परिणाम इ. मुळे होणाऱ्या वाढीव खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी महावितरणची किमान गरज आहे.

- कृषी व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकरीता (बिगर कृषी) स्वतंत्र सरासरी वीज पुरवठा दराची गणना करण्यात आली आहे.

- महावितरणद्वारे कृषी वर्गवारीतील ग्राहकांकरीता स्वस्त नुतनशील ऊर्जा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी वर्गवारीतील ग्राहकांचे वीजदर कमी करून नियंत्रित ठेवता येतील व तसेच त्याचा वीज देयकाचा भार इतर वर्गवारीतील ग्राहकांवर पडणार नाही.

- सदर विलगीकरणामुळे औद्योगिक वर्गवारीतील ग्राहकांचे वीजदर, बिगर कृषी वर्गवारीतील ग्राहकांचे सरासरी वीजपुरवठा आकाराचे (ACoS) जवळ प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे इतर वर्गवारीतील ग्राहकांवरच्या क्रॉस सबसिडीचा भार देखील कमी करुन बिगर कृषी वर्गवारीतील ग्राहकांच्या सरासरी पुरवठा आकाराच्या (ACoS) जवळ ठेवण्यात मदत होईल.

ट) क्रॉस सबसिडी अधिभार:-

विद्युत कायदयामधील कलम २ (४७) च्या "मुक्त प्रवेश" व्याख्येनुसार, तसेच कलम ४२ नुसार क्रॉस सबसिडी अधिभार, अतिरिक्त अधिभार व इतर लागू असलेल्या आकारांची भरणा करणाऱ्या ग्राहकास वितरण परवाना धारकाने मुक्त प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.

विद्युत कायदा २००३ च्या कलम ४२ (२) नुसार क्रॉस सबसिडी अधिभार हा सद्यपातळीवरील क्रॉस सबसिडीवर आधारित असावा. त्यामुळे ज्या ग्राहकांनी मुक्त प्रवेश घेतलेला आहे. अशा ग्राहाकांना सद्यपातळीवरील क्रॉस सबसिडीच्या भरपाईपोटी आकार आकारण्यात यावा जेणेकरुन त्या काळासाठीचा भार वितरण परवानाधारकाच्या ग्राहकांवर पडू नये.

त्यानुसार महावितरणने सुधारित राष्ट्रीय वीजदर धोरणामध्ये नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार क्रॉस सबसिडी अधिभाराची गणना केली आहे. उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांसाठी केलेला क्रॉस सबसिडी अधिभार खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आला आहे.

उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारी करीता क्रॉस सबसिडी अधिभार

वर्गवारी	आ.व. २०२५-२६	आ.व. २०२६-२७	आ.व. २०२७-२८	आ.व. २०२८-२९	आ.व. २०२९-३०
उच्चदाब १ -उच्चदाब औद्योगिक					
उच्चदाब	**२.१८**	**२.२६**	**२.२८**	**२.१५**	**२.१२**
अतिउच्चदाब	**२.१८**	**२.२६**	**२.२८**	**२.१५**	**२.१२**

ठ) वहन आकार :-

मा. आयोगाने बहुवर्षिय वीजदर अधिनियम २०२४ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे महावितरणने उच्चदाब (अति उच्चदाब वगळून) आणि लघुदाब या पातळीकरीता प्रस्तावित केलेल्या वहन आकाराचा सारांश खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये दर्शविला आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ ते आर्थिक वर्ष २०२९-३० साठी प्रस्तावित वहन आकार

तपशील	एकक	आर्थिक वर्ष २०२५-२६	आर्थिक वर्ष २०२६-२७	आर्थिक वर्ष २०२७-२८	आर्थिक वर्ष २०२८-२९	आर्थिक वर्ष २०२९-३०
वहन खर्च						
उच्चदाब (अति उच्चदाब वगळून)	रु कोटी	२,९१५	३,४१२	३,७९१	४,१३२	४,४३६
लघुदाब	रु कोटी	१३,४१८	१५,३९३	१६,७०१	१७,६६७	१८,४१६
वहन केलेली उर्जा (युनिटे)						
उच्चदाब (अति उच्चदाब वगळून)	दशलक्ष के.व्हि.ए.एच.	३८,११०	४०,९३७	४३,८५८	४७,११५	५०,७०७
लघुदाब	दशलक्ष युनिट	९१,६१६	९५,९२८	९९,७९६	१,०३,४१७	१,०७,४२७
प्रती युनिट वहन आकार						
उच्चदाब (अति उच्चदाब वगळून)	रु./ के.व्हि.ए.एच.	०.७६	०.८३	०.८६	०.८८	०.८७
लघुदाब	रु./के.डब्ल्यु.एच	१.४६	१.६०	१.६७	१.७१	१.७१

वाणिज्य समायोजन करीता पुर्वीच्या आदेशात मंजूर केलेली वहन हानी महावितरण पुन्हा प्रस्तावित करत आहे.

ड) अतिरिक्त अधिभार :-

जे ग्राहक ठरवून दिलेल्या वितरण परवानाधारकाव्यतिरिक्त इतर व्यक्तींकडून वीज घेत असतील अशा ग्राहकांना अतिरिक्त अधिभार लावण्याचे प्रावधान कलम ४२ (४) मध्ये आहे. मा. आयोगाच्या वितरण मुक्त प्रवेश विनियम, २०१६ मधील विनियम १४.८ मध्ये अतिरिक्त अधिभार ठरविण्याची तत्वे आणि तो लागू करण्याबाबत अधोरेखीत केलेले आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण मुक्त प्रवेश) विनियम, २०२३ मधील सुधारणा नुसार, मागणी आकाराची भरणा करणाऱ्या हरित उर्जा मुक्त प्रवेशधारकांना अतिरिक्त अधिभार लागू राहणार नाही. सदर याचिकेत महावितरणने नियंत्रण कालावधीत हरित उर्जा मुक्त प्रवेशधारकांकडून अतिरिक्त अधिभारद्वारे मिळणाऱ्या कोणत्याही उत्पन्नाची मागणी केलेली नाही. महावितरणने केवळ पारंपारिक स्वतंत्र उर्जा निर्मिती करणारे (IPP) वितरण मुक्त प्रवेशधारकांकडून असा अतिरिक्त अधिभार आकारण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० या नियंत्रण कालावधीकरीता प्रस्तावित केलेल्या अतिरिक्त अधिभाराचा सारांश खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये दर्शविला आहे.

आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० साठी अतिरिक्त अधिभाराचा सारांश

तपशील	आर्थिक वर्ष २०२५-२६	आर्थिक वर्ष २०२६-२७	आर्थिक वर्ष २०२७-२८	आर्थिक वर्ष २०२८-२९	आर्थिक वर्ष २०२९-३०
प्रस्तावित अतिरिक्त अधिभार (रु./युनिट)	१.४१	१.४३	१.५३	१.५१	१.५९

ढ) वीजदराची प्रयोज्यता (ॲप्लीकॅबीलीटी) :-

प्रत्येक ग्राहकांच्या वीजदरांची प्रयोज्यता ही ग्राहकांचा वीज वापर, वीज वापराचा हेतु, ग्राहक वर्गवारी इ. बाबींवर अवलंबुन असते. याप्रमाणे मा. आयोगाने ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा (लघुदाब अथवा उच्चदाब), वापराचा हेतु (घरगुती, बिगर-घरगुती, औद्योगिक, शेती इत्यादी) यानुसार ग्राहक वर्गवारी केलेली आहे.

महावितरणने सदर विषयाचा सखोल अभ्यास करुन तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय विचारात घेउन वीजदर प्रयोज्यतेमध्ये काही सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

ण) वीजदर प्रायोजक्ता आणि सरासरी वीजदर वाढ / घट :-

पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी उच्चदाब वर्गवारीकरीता प्रस्तावित दर :

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२५-२६ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२५-२६ (%वाढ)					आ.व. २०२५-२६ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए/महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक																
उच्चदाब	६००	८.७१	०.७६	९.४७	११.०९	९.२९%	४.१५%	२८.५५%	-१.२१%	०.५५%	५,१२४	२६,६२२	२,३३९	२८,९६१	-१६२	३३,९२३
अतिउच्चदाब	६००	८.७१	-	८.७१	१०.५०	९.२९%	४.१५%		-३.००%	०.१०%	२,३६६	११,५२०	-	११,५२०	-	१३,८८६
उच्चदाब १ (अ) (१): उच्चदाब-औद्योगिक उप-एकुण	-	-	-	-	**१०.९१**					**०.४२%**	**७,४९०**	**३८,१४३**	**२,३३९**	**४०,४८१**	**-१६२**	**४७,८०९**
उच्चदाब १ (ब): उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी)																
उच्चदाब	६००	८.७१	०.७६	९.४७	१३.००	९.२९%	०.३१%	२८.५५%	-५.६७%	-९.९३%	८१	१९८	१७	२१५	-०	२९५

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२५-२६ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२५-२६ (%वाढ)					आ.व. २०२५-२६ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए/महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
अतिउच्चदाब	६००	८.७१	-	८.७१	११.०५	९.२९%	०.३१%		-६.३४%	-४.४९%	०	१	-	१	-०	२
उच्चदाब १ (ब):उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी) उप-एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१२.९८**					**-९.८६%**	**८१**	**१९९**	**१७**	**२१७**	**-०**	**२९७**
उच्चदाब १: उच्चदाब-औद्योगिक एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१०.९२**					**०.३९%**	**७,५७१**	**३८,३४२**	**२,३५६**	**४०,६९८**	**-१६३**	**४८,१०६**
उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य																
उच्चदाब	६००	१४.०३	०.७६	१४.८०	१६.८८	९.२९%	६.२१%	२८.५५%	०.१६%	-०.८५%	४६०	२,८४३	१५५	२,९९८	-३८	३,४२०
अतिउच्चदाब	६००	१४.०३	-	१४.०३	१८.१३	९.२९%	६.२१%		-०.३३%	१३.३४%	२२	७६	-	७६	०	९८
उच्चदाब २ (अ): उच्चदाब-वाणिज्य एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१६.९१**					**-०.३५%**	**४८२**	**२,९१९**	**१५५**	**३,०७४**	**-३८**	**३,५१८**
उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन																
उच्चदाब	६००	८.७६	०.७६	९.५३	११.५९	९.२९%	१६.४३%	२८.५५%	८.८३%	९.९०%	१८	७८	७	८४	-	१०३
अतिउच्चदाब	६००	८.७६	-	८.७६	११.१९	९.२९%	१६.४३%		१०.३२%	१४.३४%	१३	४५	-	४५	-	५८
उच्चदाब ३ (अ): उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.४४**					**११.७२%**	**३१**	**१२३**	**७**	**१३०**	**-**	**१६०**
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा																
उच्चदाब	६००	८.३२	०.७६	९.०८	१०.४१	९.२९%	७.१७%	२८.५५%	१.७९%	४.०८%	२५१	१,५६८	१४४	१,७१२	-१	१,९६२
अतिउच्चदाब	६००	८.३२	-	८.३२	९.१४	९.२९%	७.१७%		०.०८%	२.०१%	१२	१२२	-	१२२	-०	१३४
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**	**-**	**-**	**-**	**-**	**१०.३२**					**३.८७%**	**२६३**	**१,६९०**	**१४४**	**१,८३४**	**-१**	**२,०९७**
उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब	११५	७.२८	०.७६	८.०५	८.५५	१८.५६%	२५.९३%	२८.५५%	१९.०२%	१९.१०%	२६	३७६	३९	४१५	-	४४१
अतिउच्चदाब	११५	७.२८	-	७.२८	७.५६	१८.५६%	२५.९३%		१९.०७%	१७.५८%	३८	९९८	-	९९८	-	१,०३६
उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**७.८३**					**१७.१६%**	**६४**	**१,३७४**	**३९**	**१,४१४**	**-**	**१,४७७**
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर																
उच्चदाब	११५	१०.०५	०.७६	१०.८२	११.२४	१८.५६%	२५.७७%	२८.५५%	१८.५९%	१६.०७%	१२	२७९	२१	३००	-	३१२
अतिउच्चदाब	११५	१०.०५	-	१०.०५	-	१८.५६%	२५.७७%		२५.७७%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.२४**					**१६.०७%**	**१२**	**२७९**	**२१**	**३००**	**-**	**३१२**
उच्चदाब ५: उच्चदाब-कृषी एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**८.२७**					**१८.२८%**	**७५**	**१,६५३**	**६१**	**१,७१४**	**-**	**१,७८९**
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)																
उच्चदाब	५२०	८.६५	०.७६	९.४१	१०.९२	१८.७२%	२०.७८%	२८.५५%	१३.११%	१२.७२%	३७	२१०	१९	२२९	-	२६५
अतिउच्चदाब	५२०	८.६५	-	८.६५	-	१८.७२%	२०.७८%		११.६८%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी) एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१०.९२**					**१२.७२%**	**३७**	**२१०**	**१९**	**२२९**	**-**	**२६५**
उच्चदाब ८: उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा																
उच्चदाब ८ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय																
उच्चदाब	६००	१०.४२	०.७६	११.१९	१२.८८	९.२९%	३.९४%	२८.५५%	-१.४९%	०.३९%	६६	३७४	२७	४०१	-५	४६२
अतिउच्चदाब	६००	१०.४२	-	१०.४२	-	९.२९%	३.९४%		३.९४%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८(अ): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१२.८८**					**०.३९%**	**६६**	**३७४**	**२७**	**४०१**	**-५**	**४६२**
उच्चदाब ८(ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर																
उच्चदाब	६००	११.३४	०.७६	१२.११	१४.२९	९.२९%	३.७१%	२८.५५%	-१.९६%	०.४६%	२०५	१,०१९	६९	१,०८८	-९	१,२८४
अतिउच्चदाब	६००	११.३४	-	११.३४	-	९.२९%	३.७१%		३.७१%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८ (ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१४.२९**					**०.४६%**	**२०५**	**१,०१९**	**६९**	**१,०८८**	**-९**	**१,२८४**
उच्चदाब ८: उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१३.८८**					**०.४४%**	**२७१**	**१,३९३**	**९६**	**१,४८९**	**-१४**	**१,७४६**
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा																
उच्चदाब	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
अतिउच्चदाब	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा एकुण	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन																
उच्चदाब	-	८.८३	०.७६	९.५९	९.५९	-१००%	१९.२७%	२८.५५%	१२.४६%	८.००%	-	८९०	७७	९६७	-	९६७
अतिउच्चदाब	-	८.८३	-	८.८३	-	-१००%	१६.१३%		१६.१३%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**९.५९**					**८.००%**	**-**	**८९०**	**७७**	**९६७**	**-**	**९६७**
उच्चदाब एकुण		**-**	**-**	**-**	**११.००**					**०.७०%**	**८,७२९**	**४७,२२०**	**२,९१५**	**५०,१३४**	**-२१६**	**५८,६४८**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२६-२७ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२६-२७ (%वाढ)					आ.व. २०२६-२७ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए/महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक																
उच्चदाब	६७५	८.८५	०.८३	९.६९	११.४८	१२.५०%	१.६७%	८.९५%	२.२६%	३.४४%	५,९९१	२८,८२९	२,७१४	३१,५४३	-१६०	३७,३७४
अतिउच्चदाब	६७५	८.८५	-	८.८५	१०.८९	१२.५०%	१.६७%		१.६७%	३.७४%	२,७६७	१२,०६५	-	१२,०६५	७	१४,८३९
उच्चदाब १ (अ) (१): उच्चदाब-औद्योगिक उप-एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३०**					**३.५७%**	**८,७५७**	**४०,८९४**	**२,७१४**	**४३,६०८**	**-१५२**	**५२,२१३**
उच्चदाब १ (ब): उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी)																
उच्चदाब	६७५	८.८५	०.८३	९.६९	१३.५५	१२.५०%	१.६७%	८.९५%	२.२६%	४.२६%	९४	२१५	२०	२३५	-०	३२९
अतिउच्चदाब	६७५	८.८५	-	८.८५	११.४२	१२.५०%	१.६७%		१.६७%	३.४०%	०	२	-	२	-०	२

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२६-२७ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२६-२७ (%वाढ)					आ.व. २०२६-२७ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए/महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
उच्चदाब १ (ब):उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी) उप-एकुण	-	-	-	-	१३.५४					४.२६%	९५	२१६	२०	२३७	-०	३३१
उच्चदाब १: उच्चदाब-औद्योगिक एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३१**					**३.५७%**	**८,८५२**	**४१,१११**	**२,७३४**	**४३,८४५**	**-१५२**	**५२,५४४**
उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य																
उच्चदाब	६७५	१४.७५	०.८३	१५.५८	१७.८२	१२.५०%	५.१४%	८.९५%	५.३४%	५.६०%	५३२	३,०९७	१७५	३,२७२	-६३	३,७४१
अतिउच्चदाब	६७५	१४.७५	-	१४.७५	१९.३१	१२.५०%	५.१४%		५.१४%	६.५५%	२५	८०	-	८०	-०	१०५
उच्चदाब २ (अ): उच्चदाब-वाणिज्य एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१७.८६**					**५.६२%**	**५५७**	**३,१७७**	**१७५**	**३,३५२**	**-६३**	**३,८४६**
उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन																
उच्चदाब	६७५	९.३३	०.८३	१०.१७	१२.५५	१२.५०%	६.४९%	८.९५%	६.६९%	८.२७%	२२	८५	८	९२	-	११४
अतिउच्चदाब	६७५	९.३३	-	९.३३	१२.१४	१२.५०%	६.४९%		६.४९%	८.४७%	१५	४९	-	४९	-	६४
उच्चदाब ३ (अ): उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१२.३९**					**८.३४%**	**३६**	**१३४**	**८**	**१४१**	**-**	**१७८**
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा																
उच्चदाब	६७५	९.१२	०.८३	९.९६	११.४३	१२.५०%	९.६९%	८.९५%	९.६२%	९.७८%	२८८	१,७८१	१६३	१,९४३	-१	२,२३०
अतिउच्चदाब	६७५	९.१२	-	९.१२	९.९८	१२.५०%	९.६९%		९.६९%	९.२१%	१४	१४७	-	१४७	-	१६१
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३१**					**९.६८%**	**३०२**	**१,९२८**	**१६३**	**२,०९१**	**-१**	**२,३९२**
उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब	१४५	८.०२	०.८३	८.८६	९.४६	२६.०९%	१०.१५%	८.९५%	१०.०४%	१०.६५%	३३	४३७	४५	४८३	-	५१५
अतिउच्चदाब	१४५	८.०२	-	८.०२	८.३५	२६.०९%	१०.१५%		१०.१५%	१०.५३%	४८	१,१६१	-	१,१६१	-	१,२०९
उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**८.६६**					**१०.५७%**	**८१**	**१,५९८**	**४५**	**१,६४४**	**-**	**१,७२५**
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर																
उच्चदाब	१४५	११.०९	०.८३	११.९२	१२.४४	२६.०९%	१०.२९%	८.९५%	१०.२०%	१०.७४%	१५	३१४	२४	३३८	-	३५३
अतिउच्चदाब	१४५	११.०९	-	११.०९	-	२६.०९%	१०.२९%		१०.२९%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१२.४४**					**१०.७४%**	**१५**	**३१४**	**२४**	**३३८**	**-**	**३५३**
उच्चदाब ५: उच्चदाब-कृषी एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**९.१३**					**१०.४३%**	**९६**	**१,९१३**	**६९**	**१,९८२**	**-**	**२,०७७**
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)																
उच्चदाब	५८०	८.८५	०.८३	९.६८	११.३१	११.५४%	२.३१%	८.९५%	२.८५%	३.५७%	४१	२२४	२१	२४५	-	२८६
अतिउच्चदाब	५८०	८.८५	-	८.८५	-	११.५४%	२.३१%		२.३१%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी) एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३१**					**३.५७%**	**४१**	**२२४**	**२१**	**२४५**	**-**	**२८६**
उच्चदाब ८: उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा																
उच्चदाब ८ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय																
उच्चदाब	६७५	१०.५२	०.८३	११.३५	१३.३२	१२.५०%	०.९३%	८.९५%	१.४७%	३.४२%	७७	३८५	३१	४१६	-५	४८८
अतिउच्चदाब	६७५	१०.५२	-	१०.५२	-	१२.५०%	०.९३%		०.९३%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८(अ): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१३.३२**					**३.४२%**	**७७**	**३८५**	**३१**	**४१६**	**-५**	**४८८**
उच्चदाब ८(ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर																
उच्चदाब	६७५	११.४२	०.८३	१२.२५	१४.८०	१२.५०%	०.६६%	८.९५%	१.१९%	३.५८%	२४३	१,०४१	७६	१,११७	-१०	१,३५०
अतिउच्चदाब	६७५	११.४२	-	११.४२	-	१२.५०%	०.६६%		०.६६%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८ (ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१४.८०**					**३.५८%**	**२४३**	**१,०४१**	**७६**	**१,११७**	**-१०**	**१,३५०**
उच्चदाब ८: उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१४.३७**					**३.५३%**	**३२०**	**१,४२६**	**१०७**	**१,५३३**	**-१६**	**१,८३७**
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा																
उच्चदाब	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
अतिउच्चदाब	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा एकुण	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन																
उच्चदाब	-	९.२४	०.८३	१०.०७	१०.०७		४.६६%	८.९५%	५.००%	५.००%	-	१,४९८	१३५	१,६३४	-	१,६३४
अतिउच्चदाब	-	९.२४	-	९.२४	-		४.६६%		४.६६%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१०.०७**					**५.००%**	**-**	**१,४९८**	**१३५**	**१,६३४**	**-**	**१,६३४**
उच्चदाब एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.४४**					**३.९९%**	**१०,२०५**	**५१,४११**	**३,४११**	**५४,८२२**	**-२३२**	**६४,७९४**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२७-२८ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२७-२८ (%वाढ)					आ.व. २०२७-२८ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए/महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक																
उच्चदाब	७२०	८.७८	०.८६	९.६४	११.५३	६.६७%	-०.८२%	३.७३%	-०.४३%	०.४९%	६,६४२	३०,२७९	२,९८१	३३,२६१	-१२८	३९,७७५
अतिउच्चदाब	७२०	८.७८	-	८.७८	१०.९८	६.६७%	-०.८२%		-०.८२%	०.८४%	३,०६७	१२,३५९	-	१२,३५९	२९	१५,४५५
उच्चदाब १ (अ) (१): उच्चदाब-औद्योगिक उप-एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३७**					**०.६२%**	**९,७०९**	**४२,६३८**	**२,९८१**	**४५,६१९**	**-९९**	**५५,२२९**
उच्चदाब १ (ब): उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी)																
उच्चदाब	७२०	८.७८	०.८६	९.६४	१३.६९	६.६७%	-०.८२%	३.७३%	-०.४३%	१.०७%	१०४	२२६	२२	२४८	-०	३५३
अतिउच्चदाब	७२०	८.७८	-	८.७८	११.४८	६.६७%	-०.८२%		-०.८२%	०.५१%	०	२	-	२	-०	२
उच्चदाब १ (ब):उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी) उप-एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१३.६८**					**१.०७%**	**१०५**	**२२८**	**२२**	**२५०**	**-०**	**३५५**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२७-२८ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२७-२८ (%वाढ)					आ.व. २०२७-२८ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए /महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
उच्चदाब १: उच्चदाब-औद्योगिक एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३८**					**०.६२%**	**९,८१४**	**४२,८६६**	**३,००४**	**४५,८६९**	**-९९**	**५५,५८४**
उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य																
उच्चदाब	७२०	१५.१०	०.८६	१५.९६	१८.४०	६.६७%	२.३६%	३.७३%	२.४४%	३.२२%	५४८	३,२२५	१८५	३,४०९	-६४	३,९२८
अतिउच्चदाब	७२०	१५.१०	-	१५.१०	२०.१५	६.६७%	२.३६%		२.३६%	४.३५%	२८	८२	-	८२	-०	१०९
उच्चदाब २ (अ): उच्चदाब-वाणिज्य एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१८.४४**					**३.२५%**	**६११**	**३,३०६**	**१८५**	**३,४९१**	**-६५**	**४,०३७**
उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन																
उच्चदाब	७२०	१०.१०	०.८६	१०.९७	१३.५८	६.६७%	८.२५%	३.७३%	७.८८%	८.२१%	२४	९४	८	१०२	-	१२६
अतिउच्चदाब	७२०	१०.१०	-	१०.१०	१३.१८	६.६७%	८.२५%		८.२५%	८.५७%	१७	५४	-	५४	-	७१
उच्चदाब ३ (अ): उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१३.४३**					**८.३४%**	**४१**	**१४८**	**८**	**१५६**	**-**	**१९७**
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा																
उच्चदाब	७२०	९.०८	०.८६	९.९५	११.५१	६.६७%	-०.४२%	३.७३%	-०.०७%	०.७४%	३१३	१,८३४	१७५	२,००९	२	२,३२४
अतिउच्चदाब	७२०	९.०८	-	९.०८	९.९५	६.६७%	-०.४२%		-०.४२%	-०.२५%	१५	१६०	-	१६०	०	१७५
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३८**					**०.६२%**	**३२९**	**१,९९४**	**१७५**	**२,१६९**	**२**	**२,४९९**
उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब	१८०	८.८५	०.८६	९.७१	१०.४३	२४.१४%	१०.२६%	३.७३%	९.६५%	१०.२९%	४१	५०५	४९	५५४	-	५९५
अतिउच्चदाब	१८०	८.८५	-	८.८५	९.२४	२४.१४%	१०.२६%		१०.२६%	१०.६४%	६०	१,३४१	-	१,३४१	-	१,४०१
उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**९.५७**					**१०.५४%**	**१०२**	**१,८४५**	**४९**	**१,८९५**	**-**	**१,९९६**
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर																
उच्चदाब	१८०	१२.२६	०.८६	१३.१३	१३.७७	२४.१४%	१०.६१%	३.७३%	१०.१३%	१०.६६%	१९	३५५	२५	३८०	-	३९९
अतिउच्चदाब	१८०	१२.२६	-	१२.२६	-	२४.१४%	१०.६१%		१०.६१%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१३.७७**					**१०.६६%**	**१९**	**३५५**	**२५**	**३८०**	**-**	**३९९**
उच्चदाब ५: उच्चदाब-कृषी एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१०.०८**					**१०.४३%**	**१२०**	**२,२००**	**७४**	**२,२७५**	**-**	**२,३९५**
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)																
उच्चदाब	६३०	८.७९	०.८६	९.६६	११.३८	८.६२%	-०.६४%	३.७३%	-०.२६%	०.६२%	४५	२३१	२३	२५३	-	२९९
अतिउच्चदाब	६३०	८.७९	-	८.७९	-	८.६२%	-०.६४%		-०.६४%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी) एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३८**					**०.६२%**	**४५**	**२३१**	**२३**	**२५३**	**-**	**२९९**
उच्चदाब ८: उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा																
उच्चदाब ८ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय																
उच्चदाब	७२०	१०.३४	०.८६	११.२१	१३.३९	६.६७%	-१.६७%	३.७३%	-१.२७%	०.५२%	८७	३८७	३२	४१९	-५	५०१
अतिउच्चदाब	७२०	१०.३४	-	१०.३४	-	६.६७%	-१.६७%		-१.६७%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८(अ): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१३.३९**					**०.५२%**	**८७**	**३८७**	**३२**	**४१९**	**-५**	**५०१**
उच्चदाब ८(ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर																
उच्चदाब	७२०	११.२०	०.८६	१२.०६	१४.८९	६.६७%	-१.९०%	३.७३%	-१.५२%	०.६६%	२७२	१,०३७	८०	१,११७	-९	१,३७९
अतिउच्चदाब	७२०	११.२०	-	११.२०	-	६.६७%	-१.९०%		-१.९०%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८ (ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१४.८९**					**०.६६%**	**२७२**	**१,०३७**	**८०**	**१,११७**	**-९**	**१,३७९**
उच्चदाब ८: उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१४.४६**					**०.६१%**	**३५८**	**१,४२४**	**११२**	**१,५३६**	**-१५**	**१,८८०**
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा																
उच्चदाब	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
अतिउच्चदाब	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा एकुण	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन																
उच्चदाब	-	९.७१	०.८६	१०.५७	१०.५७		५.११%	३.७३%	५.००%	५.००%	-	२,३६७	२११	२,५७८	-	२,५७८
अतिउच्चदाब	-	९.७१	-	९.७१	-		५.११%		५.११%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१०.५७**					**५.००%**	**-**	**२,३६७**	**२११**	**२,५७८**	**-**	**२,५७८**
उच्चदाब एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.५६**					**१.०४%**	**११,३१८**	**५४,५३६**	**३,७९१**	**५८,३२७**	**-१७६**	**६९,४६९**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२८-२९ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२८-२९ (%वाढ)					आ.व. २०२८-२९ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए /महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक																
उच्चदाब	७३०	८.१०	०.८८	८.९८	१०.८७	१.३९%	-७.७३%	१.४५%	-६.९१%	-५.७५%	६,९९९	२९,४९१	३,१९३	३२,६८३	-१०९	३९,५७३
अतिउच्चदाब	७३०	८.१०	-	८.१०	१०.३४	१.३९%	-७.७३%		-७.७३%	-५.७९%	३,२३२	११,८१६	-	११,८१६	३९	१५,०८७
उच्चदाब १ (अ) (१): उच्चदाब-औद्योगिक उप-एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१०.७२**					**-५.७४%**	**१०,२३१**	**४१,३०६**	**३,१९३**	**४४,४९९**	**-७०**	**५४,६६०**
उच्चदाब १ (ब): उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी)																
उच्चदाब	७३०	८.१०	०.८८	८.९८	१३.०२	१.३९%	-७.७३%	१.४५%	-६.९१%	-४.९१%	११०	२२१	२४	२४५	०	३५५
अतिउच्चदाब	७३०	८.१०	-	८.१०	१०.८०	१.३९%	-७.७३%		-७.७३%	-५.९१%	१	२	-	२	०	२
उच्चदाब १ (ब):उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी) उप-एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१३.०१**					**-४.९२%**	**११०**	**२२२**	**२४**	**२४६**	**०**	**३५७**
उच्चदाब १: उच्चदाब-औद्योगिक एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१०.७३**					**-५.७४%**	**१०,३४१**	**४१,५२८**	**३,२१७**	**४४,७४५**	**-७०**	**५५,०१७**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२८-२९ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२८-२९ (%वाढ)					आ.व. २०२८-२९ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए/महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य																
उच्चदाब	७३०	१५.५३	०.८८	१६.४१	१८.९३	१.३९%	२.८६%	१.४५%	२.७८%	२.९२%	६०८	३,३५२	१८९	३,५४२	-६३	४,०८७
अतिउच्चदाब	७३०	१५.५३	-	१५.५३	२०.८७	१.३९%	२.८६%		२.८६%	३.५९%	२९	८३	-	८३	-०	१११
उच्चदाब २ (आ): उच्चदाब-वाणिज्य एकुण	-	-	-	-	**१८.९८**					**२.९३%**	**६३७**	**३,४३५**	**१८९**	**३,६२५**	**-६४**	**४,१९८**
उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन																
उच्चदाब	७३०	११.१०	०.८८	११.९७	१४.६९	१.३९%	९.८३%	१.४५%	९.१७%	८.२३%	२६	१०५	८	११३	-	१३९
अतिउच्चदाब	७३०	११.१०	-	११.१०	१४.३०	१.३९%	९.८३%		९.८३%	८.५४%	१८	६१	-	६१	-	७९
उच्चदाब ३ (आ): उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन एकुण	-	-	-	-	**१४.५५**					**८.३४%**	**४३**	**१६६**	**८**	**१७४**	-	**२१८**
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा																
उच्चदाब	७३०	८.४२	०.८८	९.३०	१०.८७	१.३९%	-७.३१%	१.४५%	-६.५५%	-५.५९%	३२४	१,७५७	१८३	१,९४०	३	२,२६७
अतिउच्चदाब	७३०	८.४२	-	८.४२	९.२६	१.३९%	-७.३१%		-७.३१%	-६.९९%	१६	१६१	-	१६१	०	१७७
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**	-	-	-	-	**१०.७३**					**-५.७४%**	**३४०**	**१,९१७**	**१८३**	**२,१००**	**४**	**२,४४४**
उच्चदाब ५ (आ): उच्चदाब-कृषीपंप	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब	२१५	९.३९	०.८८	१०.२७	११.१०	१९.४४%	६.१६%	१.४५%	५.७४%	६.४४%	५०	५५८	५२	६१०	-	६६०
अतिउच्चदाब	२१५	९.३९	-	९.३९	९.८५	१९.४४%	६.१६%		६.१६%	६.५८%	७३	१,४८२	-	१,४८२	-	१,५५४
उच्चदाब ५ (आ): उच्चदाब-कृषीपंप एकुण	-	-	-	-	**१०.१९**					**६.५४%**	**१२३**	**२,०३९**	**५२**	**२,०९२**	-	**२,२१४**
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर																
उच्चदाब	२१५	१३.०४	०.८८	१३.९२	१४.६८	१९.४४%	६.३९%	१.४५%	६.०६%	६.६३%	२२	३८६	२६	४१२	-	४३४
अतिउच्चदाब	२१५	१३.०४	-	१३.०४	-	१९.४४%	६.३९%		६.३९%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर एकुण	-	-	-	-	**१४.६८**					**६.६३%**	**२२**	**३८६**	**२६**	**४१२**	-	**४३४**
उच्चदाब ५: उच्चदाब-कृषी एकुण	-	-	-	-	**१०.७३**					**६.४६%**	**१४५**	**२,४२५**	**७८**	**२,५०३**	-	**२,६४८**
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)																
उच्चदाब	६३५	८.१५	०.८८	९.०२	१०.७३	०.७९%	-७.३२%	१.४५%	-६.५३%	-५.७४%	४६	२२०	२४	२४४	-	२९०
अतिउच्चदाब	६३५	८.१५	-	८.१५	-	०.७९%	-७.३२%		-७.३२%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी) एकुण	-	-	-	-	**१०.७३**					**-५.७४%**	**४६**	**२२०**	**२४**	**२४४**	-	**२९०**
उच्चदाब ८: उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा																
उच्चदाब ८ (आ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय																
उच्चदाब	७३०	९.४४	०.८८	१०.३२	१२.६१	१.३९%	-८.७०%	१.४५%	-७.९१%	-५.८१%	९२	३६०	३३	३९४	-५	४८१
अतिउच्चदाब	७३०	९.४४	-	९.४४	-	१.३९%	-८.७०%		-८.७०%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८(आ): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण	-	-	-	-	**१२.६१**					**-५.८१%**	**९२**	**३६०**	**३३**	**३९४**	**-५**	**४८१**
उच्चदाब ८(ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर																
उच्चदाब	७३०	१०.१९	०.८८	११.०७	१४.०५	१.३९%	-९.००%	१.४५%	-८.२५%	-५.६८%	२८९	९५९	८२	१,०४१	-९	१,३२१
अतिउच्चदाब	७३०	१०.१९	-	१०.१९	-	१.३९%	-९.००%		-९.००%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८ (ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण	-	-	-	-	**१४.०५**					**-५.६८%**	**२८९**	**९५९**	**८२**	**१,०४१**	**-९**	**१,३२१**
उच्चदाब ८: उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- एकुण	-	-	-	-	**१३.६३**					**-५.७२%**	**३८२**	**१,३१९**	**११६**	**१,४३५**	**-१४**	**१,८०३**
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा																
उच्चदाब	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
अतिउच्चदाब	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा एकुण	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन																
उच्चदाब	-	९.८५	०.८८	१०.७३	१०.७३		१.५०%	१.४५%	१.४९%	१.४९%	-	३,५५८	३१७	३,८७४	-	३,८७४
अतिउच्चदाब	-	९.८५	-	९.८५	-		१.५०%		१.५०%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन एकुण	-	-	-	-	**१०.७३**					**१.४९%**	-	**३,५५८**	**३१७**	**३,८७४**	-	**३,८७४**
उच्चदाब एकुण	-	-	-	-	**११.०२**					**-४.६४**	**११,९३५**	**५४,५६९**	**४,१३२**	**५८,७०१**	**-१४४**	**७०,४९२**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२९-३० (प्रस्तावित)					आ.व. २०२९-३० (%वाढ)					आ.व. २०२९-३० (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए/महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
उच्चदाब १ उच्चदाब-औद्योगिक																
उच्चदाब	७५०	७.९७	०.८७	८.८४	१०.७४	२.७४%	-१.६५%	-०.२५%	-१.५२%	-१.१७	७,४७३	३०,५०५	३,३५०	३३,८५५	-१९१	४१,१३७
अतिउच्चदाब	७५०	७.९७	-	७.९७	१०.२४	२.७४%	-१.६५%		-१.६५%	-०.९७	३,४५१	१२,११४	-	१२,११४	११	१५,५७६
उच्चदाब १ (आ) (१): उच्चदाब-औद्योगिक उप-एकुण	-	-	-	-	**१०.६०**					**-१.१०**	**१०,९२५**	**४२,६१९**	**३,३५०**	**४५,९६९**	**-१८१**	**५६,७१३**
उच्चदाब १ (ब): उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी)																
उच्चदाब	७५०	७.९७	०.८७	८.८४	१२.९२	२.७४%	-१.६५%	-०.२५%	-१.५२%	-०.७५%	११७	२२८	२५	२५३	-०	३७०
अतिउच्चदाब	७५०	७.९७	-	७.९७	१०.६९	२.७४%	-१.६५%		-१.६५%	-१.०३%	१	२	-	२	-०	२
उच्चदाब १ (ब):उच्चदाब-औद्योगिक (हंगामी) उप-एकुण	-	-	-	-	१२.९१					**-०.७५%**	११८	२३०	२५	२५५	-०	३७३

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२९-३० (प्रस्तावित)					आ.व. २०२९-३० (%वाढ)					आ.व. २०२९-३० (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आका र	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
	रु/केव्हीए /महीना	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
उच्चदाब १: उच्चदाब-औद्योगिक एकुण	-	-	-	-	१०.६१					**-१.१०%**	**११,०४३**	**४२,८४९**	**३,३७५**	**४६,२२४**	**-१८१**	**५७,०८५**
उच्चदाब २: उच्चदाब-वाणिज्य																
उच्चदाब	७५०	१५.६४	०.८७	१६.५२	१९.१८	२.७४%	०.७२%	-०.२५%	०.६७%	१.२९%	६४३	३,३८४	१८९	३,५७३	-६७	४,१४८
अतिउच्चदाब	७५०	१५.६४	-	१५.६४	२१.३८	२.७४%	०.७२%		०.७२%	२.४२%	३१	८२	-	८२	-१	११२
उच्चदाब २ (अ): उच्चदाब-वाणिज्य एकुण					१९.२३					**१.३२%**	**६७३**	**३,४६६**	**१८९**	**३,६५५**	**-६८**	**४,२६०**
उच्चदाब ३: उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन																
उच्चदाब	७५०	१२.१५	०.८७	१३.०२	१५.८९	२.७४%	९.४६%	-०.२५%	८.७५%	८.१८%	२८	११७	८	१२६	-	१५३
अतिउच्चदाब	७५०	१२.१५		१२.१५	१५.५३	२.७४%	९.४६%		९.४६%	८.६२%	१९	६८	-	६८	-	८७
उच्चदाब ३ (अ): उच्चदाब-रेल्वे/मेट्रो/ मोनोरेल ट्रॅक्शन एकुण	-	-	-	-	१५.७६					**८.३४%**	**४७**	**१८५**	**८**	**१९४**	**-**	**२४१**
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा																
उच्चदाब	७५०	८.३१	०.८७	९.१८	१०.७६	२.७४%	-१.३३%	-०.२५%	-१.२३%	-१.०१%	३४०	१]७९०	१८८	१,९७८	-०	२,३१७
अतिउच्चदाब	७५०	८.३१	-	८.३१	९.११	२.७४%	-१.३३%		-१.३३%	-१.६४%	१६	१७१	-	१७१	-०	१८७
उच्चदाब ४: उच्चदाब-सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**	-	-	-	-	**१०.६१**					**-१.१०%**	**३५६**	**१,९६०**	**१८८**	**२,१४९**	**-०**	**२,५०४**
उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप	-	-	-	-	-											
उच्चदाब	२३०	९.२७	०.८७	१०.१४	११.०१	६.९८%	-१.३३%	०.२५%	-१.२४%	-०.८६%	५४	५७३	५४	६२८	-	६८१
अतिउच्चदाब	२३०	९.२७	-	९.२७	९.७४	६.९८%	-१.३३%	-	-१.३३%	-१.०९%	७९	१,५२३	-	१,५२३	-	१,६०२
उच्चदाब ५ (अ): उच्चदाब-कृषीपंप एकुण					**१०.०९**					**-१.०३%**	**१३२**	**२,०९६**	**५४**	**२,१५१**	**-**	**२,२८३**
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर																
उच्चदाब	२३०	१२.८६	०.८७	१३.७४	१४.५४	६.९८%	-१.३८%	-०.२५%	१.३१%	-०.९४%	२४	३८८	२६	४१५	-	४३९
अतिउच्चदाब	२३०	१२.८६	-	१२.८६	-	६.९८%	-१.३८%		-१.३८%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ५ (ब): उच्चदाब-कृषी इतर एकुण	-	-	-	-	**१४.५४**					**-०.९४%**	**२४**	**३८८**	**२६**	**४१५**	**-**	**४३९**
उच्चदाब ५: उच्चदाब-कृषी एकुण	-	-	-	-	**१०.६१**					**-१.१०%**	**१५७**	**२,४८५**	**८१**	**२,५६५**	**-**	**२,७२२**
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी)																
उच्चदाब	६४०	८.०४	०.८७	८.९२	१०.६१	०.७९%	-१.२७%	-०.२५%	१.१७%	-१.०१%	४७	२२३	२४	२४७	-	२९४
अतिउच्चदाब	६४०	८.०४	-	८.०४		०.७९%	-१.२७%		-१.२७%		-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ६: उच्चदाब-गृहनिर्माण संस्था (रहिवाशी) एकुण					**१०.६१**					**-१.१०%**	**४७**	**२२३**	**२४**	**२४७**	**-**	**२९४**
उच्चदाब ८: उच्चदाब-सार्वजनिक सेवा																
उच्चदाब ८ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय, शैक्षणिक संस्था आणि रुग्णालय																
उच्चदाब	७५०	९.१७	०.८७	१०.०४	१२.४६	२.७४%	-२.९०%	-०.२५%	-२.६८%	-१.२१%	१००	३५७	३४	३९१	-६	४८५
अतिउच्चदाब	७५०	९.१७	-	९.१७	-	२.७४%	-२.९०%		-२.९०%	-	-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८(अ): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण					**१२.४६**					**-१.२१%**	**१००**	**३५७**	**३४**	**३९१**	**-६**	**४८५**
उच्चदाब ८(ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर																
उच्चदाब	७५०	९.८७	०.८७	१०.७४	१३.८९	२.७४%	-३.१६%	-०.२५%	-२.९३%	-१.०९%	३१२	९४४	८४	१,०२८	-११	१.३२९
अतिउच्चदाब	७५०	९.८७	-	९.८७	-	२.७४%	-३.१६%		-३.१६%	-	-	-	-	-	-	-
उच्चदाब ८ (ब): उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण					**१३.८९**					**-१.०९%**	**३१२**	**९४४**	**८४**	**१,०२८**	**-११**	**१,३२९**
उच्चदाब ८: उच्चदाब- सार्वजनिक सेवा- एकुण					**१३.४८**					**-१.१३%**	**४१२**	**१,३०१**	**११८**	**१,४१८**	**-१६**	**१,८१४**
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा																
उच्चदाब	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
अतिउच्चदाब	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-
उच्चदाब: महानिर्मिती-अतिरिक्त पुरवठा एकुण																
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन																
उच्चदाब	-	९.७४	०.८७	१०.६१	१०.६१		-१.१८%	-०.२५%	-१.१०%	-१.१०%	-	५,०३२	४५२	५,४८४	-	५,४८४
अतिउच्चदाब	-	९.७४	-	९.७४	-		-१.१८%		-१.१८%	-	-	-	-	-	-	
उच्चदाब ९: उच्चदाब-विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन एकुण	-	-	-	-	**१०.६१**					**-१.१०%**		**५,०३२**	**४५२**	**५,४८४**	**-**	**५,४८४**
उच्चदाब एकुण	-	-	-	-	१०.९०					**-१.१०%**	**१२,७३४**	**५७,५०२**	**४४३६**	**६१,९३७**	**-२६६**	**७४,४०५**

पाचव्या नियंत्रण कालावधीसाठी लघुदाब वर्गवारीकरीता प्रस्तावित दर :

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२५-२६ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२५-२६ (%वाढ)					आ.व. २०२५-२६ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
लघुदाब (घरगुती)																
लघुदाब १ (अ): लघुदाब घरगुती (दारिद्रय रेषेखालील)	३५	१.४८		१.४८	३.१४	२.९४%	-५.३०%		-१५.२६%	-१४.४६%	६	६	-	६	-	१२
लघुदाब १ (ब): लघुदाब- घरगुती																
१-१०० युनिट	१३०	४.३७	१.४६	५.८४	७.६५	१.५६%	-७.१५%	२४.८८%	-७.५८%	-६.०३%	२,६२१	६,२३०	२,०८६	८,३१६	३९	१,०८९८

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२५-२६ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२५-२६ (%वाढ)					आ.व. २०२५-२६ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
१०१-३०० युनिट	१३५	११.१४	१.४६	१२.६०	१३.४९	५.४७%	८.२३%	२४.८८%	३.०४%	१.८९%	९८८	१२,०९४	१,५९०	१३,६८४	-३०	१४,६४३
३०१-५०० युनिट	१४०	१५.४९	१.४६	१६.९६	१७.९९	९.३८%	६.५०%	२४.८८%	१.११%	१.१६%	१६७	२,४४२	२३१	२,६७३	-४	२,८३६
५०० युनिट पेक्षा जास्त	१४५	१७.६३	१.४६	१९.०९	१९.३७	१३.२८%	५.९३%	२४.८८%	०.८६%	०.७४%	६३	३,५९०	२९८	३८८८	-६	३,९४५
	-	-	-	-	-											
थ्री फेज शुल्क	-	-	-	-	-	-१००.००%										
लघुदाब १: लघुदाब -घरगुती एकुण					**११.२५**					**०.३३%**	**३,८४५**	**२४,३६१**	**४,२०६**	**२८,५६७**	**-७८**	**३२,३३३**
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती																
(अ) (१): ०-२० कि.वॅ.	५५०	८.५३	१.४६	९.९९	१२.९६	६.३८%	०.०६%	२४.८८%	-४.४९%	-२.४३%	१,५७१	४,४९१	७७१	५,२६२	-९	६,८२४
(ब): >२० कि.वॅ. आणि ≤ **५०** कि.वॅ.	५७०	१३.१०	१.४६	१४.५७	१६.७५	१०.२५%	०.७२%	२४.८८%	-५.२९%	-६.०६%	३०३	१,८४८	२०७	२,०५४	४	२,३६२
(क): >**५०** कि.वॅ.	५७०	१५.६२	१.४६	१७.०८	१९.१०	१०.२५%	१.५६%	२४.८८%	३.२१%	१.७५%	२७३	२,१२०	१९९	२,३१९	०	२,५९२
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती एकुण					**१४.६६**					**-०.८७%**	**२,१४७**	**८,४५८**	**१,१७७**	**९,६३५**	**-४**	**१,७७७**
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW)																
अ): ०-२० कि.वॅ.	१५०	४.५८	१.४६	६.०५	६.३७	१६.२८%	१२.१२%	२४.८८%	८.११%	८.५४%	२३	३२८	१०५	४३२		४५५
(ब) > २० कि.वॅ. आणि ≤ **४०** कि.वॅ.	१८०	७.१६	१.४६	८.६३	९.२२	१५.३८%	१३.१७%	२४.८८%	८.०४%	८.८३%	९	१०३	२१	१२४		१३२
(कú) >**४०** कि.वॅ.	२२०	९.५६	१.४६	११.०३	१२.०६	१३.४०%	१३.८३%	२४.८८%	८.५६%	९.४४%	१५	१३४	२१	१५५		१७०
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**	-	-	-	-	**७.५८**	-	-	-	-	**८.२३%**	**४६**	**५६५**	**१४६**	**७११**	**-**	**७५७**
लघुदाब ४: लघुदाब-कृषी																
लघुदाब ४ (अ): लघुदाब-कृषी मीटर नसलेले पंप																
प्रवर्ग १ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./वर्ष पेक्षा जास्त वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)																
(अ) ०-५ अ.श.	४९८	-	१४६.४६	१४६.४६	७.५६	-११.६१%		२५.१८%	-१६.४७%	-१२.७४%	१९४९	-	५७३	५७३	-	२५२२
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	५४८	-	१४६.४६	१४६.४६	१३.४०	-९.७९%		२५.१८%	-३१.९८%	-१३.०५%	५०६	-	१३५	१३५	-	६४१
(क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	६१३	-	१४६.४६	१४६.४६	-	-१०.१६%		२५.१८%	-३४.०३%	-						
प्रवर्ग २ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./वर्ष पेक्षा कमी वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)																
(अ) ०-५ अ.श. पर्यंत	३९८	-	१४६.४६	१४६.४६	३.०१	-८.४५%		२५.१८%	१२.३८%	-३.९७%	१,६३८	-	६०२	६०२	-	२,२४०
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	४३८	-	१४६.४६	१४६.४६	७.६९	-७.८८%		२५.१८%	-२.५७%	-१२.५७%	६१२	-	२०५	२०५	-	८१७
(कú) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	५०८	-	१४६.४६	१४६.४६	-	-७.८०%		२५.१८%	-२.५७%	-						
लघुदाब ४ (ब): लघुदाब- कृषी मीटर असलेले कृषीपंप	**६०**	**३.१४**	**१.४६**	**४.६१**	**५.०५**	**१५.३८%**	**-७.२२%**	**२४.८८%**	**-५.२०%**	**-३.७२%**	**१,१३४**	**७,९८३**	**३,७२१**	**११,७०४**	**-**	**१२,८३८**
लघुदाब ४ (क): लघुदाब-कृषी, मीटर असलेले इतर	**२००**	**७.८६**	**१.४६**	**९.३२**	**१०.९२**	**४०.८५%**	**३७.६५%**	**२४.८८%**	**२५.७३%**	**२८.३०%**	**३५**	**१७४**	**३२**	**२०७**	**-**	**२४२**
लघुदाब ४): लघुदाब कृषी एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**५.०७**					**-५.४६%**	**५८७४**	**८१५७**	**५२६९**	**१३४२६**	**-**	**१९,३०१**
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब- औद्योगिक -यंत्रमाग																
(i) ०-२० कि.वॅ.	६५०	६.८५	१.४६	८.३१	९.३३	११.४९%	१४.०४%	२४.८८%	८.०३%	८.२८%	४१	२७६	५९	३३४	-	३७५
(ii) २० कि.वॅ.पेक्षा जास्त	४१५	७.९१	१.४६	९.३७	१०.३१	६.९६%	११.११%	२४.८८%	४.६४%	७.५९%	१६१	१३७०	२५४	१६२४	२	१७८७
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब -औद्योगिक-यंत्रमाग एकुण	-	-	-	-	**१०.१३**					**७.७१%**	**२०२**	**१६४६**	**३१३**	**१९५९**	**२**	**२१६३**
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य	-															
(i) ०-२० कि.वॅ.	६५०	७.१०	१.४६	८.५७	९.२४	११.४९%	१५.२८%	२४.८८%	९.१२%	७.८४%	२७८	२,९४२	६०७	३,५४८	-	३,८२६
(ii) २० कि.वॅ. पेक्षा जास्त	४१५	९.०४	१.४६	१०.५०	११.८९	६.९६%	२३.७९%	२४.८८%	१४.९०%	६.३२%	१,३७०	६,५७२	१,०६५	७,६३७	-३६३	८,६४४
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य एकुण					**१०.९२**					**६.६९%**	**१,६४७**	**९,५१३**	**१,६७२**	**११,१८५**	**-३६३**	**१२,४७०**
लघुदाब ५: लघुदाब -औद्योगिक एकुण					**१०.८०**					**७.०७%**	**१,८४९**	**११,१५९**	**१,९८५**	**१३,१४४**	**-३६१**	**१४,६३२**
लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे																
(अ) ग्रामपंचायत: अ.ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका	१६०	७.९६	१.४६	९.४२	१०.१६	१२.६८%	१६.५१%	२४.८८%	९.९५%	१०.३८%	५५	६००	११०	७१०	-	७६५
(ब) महानगरपालिका क्षेत्र	१६०	९.७२	१.४६	११.१८	१२.४६	१२.६८%	१६.९३%	२४.८८%	९.९९%	१०.५८%	४८	३६८	५५	४२३	-	४७२
लघुदाब ६: लघुदाब - पथदिवे एकुण	-	-	-	-	**१०.९२**					**१०.४६%**	**१०३**	**९६८**	**१६६**	**१,१३३**	**-**	**१,२३७**
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय																
(i): ≤ २० कि.वॅ.	४५०	४.०४	१.४६	५.५०	११.६९	५.३९%	-५.८९%	२४.८८%	-८.७५%	५.१२%	४४	२८	१०	३९	-	८२
(ii): > २० कि.वॅ. - **≤५०** कि.वॅ.	४५०	७.०३	१.४६	८.४९	१०.२५	५.३९%	१३.७१%	२४.८८%	४.५९%	-०.७२%	४	१०	२	१३	-२	१५
(iii): > ५० कि.वॅ.	४५०	८.७०	१.४६	१०.१७	१२.१०	५.३९%	१२.३१%	२४.८८%	१३.९६%	६.६५%	४	१२	२	१४	-२	१७
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण	-	-	-	-	**११.५३**					**४.५४%**	**५२**	**५१**	**१५**	**६५**	**-३**	**११४**
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर																

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२५-२६ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२५-२६ (%वाढ)					आ.व. २०२५-२६ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
(i): ≤ २० कि.वॅ.	५५०	५.८६	१.४६	७.३३	९.२९	१८.५३%	-५.१२%	२४.८८%	-७.०८%	-०.४९%	७५	२२५	५६	२८१	-	३५६
(ii): > २० कि.वॅ. - **≤ ५०** कि.वॅ.	५५०	१०.२१	१.४६	११.६८	१४.१२	१८.५३%	४.४६%	२४.८८%	-०.७६%	३.९१%	४७	१४५	२१	१६६	-१३	२००
(iii): > ५० कि.वॅ.	५५०	१०.५४	१.४६	१२.००	१४.०४	१८.५३%	४.०१%	२४.८८%	-०.१६%	-३.३५%	६०	२३३	३१	२५४	-१६	२९७
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण	-	-	-	-	**११.५९**					**-०.३१%**	**१८२**	**५९३**	**१०८**	**७०१**	**-२९**	**८५४**
लघुदाब ७: सार्वजनिक सेवा- एकुण	-	-	-	-	**११.५८**					**०.२४%**	**२३४**	**६४४**	**१२३**	**७६७**	**-३२**	**९६९**
लघुदाब ८: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन		**९.८६**	**१.४६**	**११.३३**	**१०.९२**	**-१००%**	**४९.८६%**	**२४.८८%**	**३३.७२%**	**६.८६%**	**-**	**२३१**	**३४**	**२६५**	**-९**	**२५६**
लघुदाब एकुण					**८.८७**					**१.७१%**	**१४,०९९**	**५४,५४३**	**१३,१०५**	**६७,६४८**	**-४८५**	**८१,२६२**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२६-२७ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२६-२७ (%वाढ)					आ.व. २०२६-२७ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
लघुदाब (घरगुती)																
लघुदाब १ (अ): लघुदाब घरगुती (दारिद्रय रेषेखालील)	**४०**	**१.५८**		**१.५८**	**३.३०**	**१४.२९%**	**७.१६%**		**७.१६%**	**५.११%**	**७**	**६**	**-**	**६**	**-**	**१३**
लघुदाब १ (ब): लघुदाब- घरगुती																
१-१०० युनिट	१४०	४.१६	१.६०	५.७६	७.७०	७.६९%	-४.९३%	९.५६%	-१.२९	०.६५%	२९१३	६१६०	२३७७	८५३७	-४३	११४०७
१०१-३०० युनिट	१४५	११.३५	१.६०	१२.९६	१३.८४	७.४१%	१.९०%	९.५६%	२.७९%	२.६४%	१०९६	१३५७३	१९१९	१५४९२	-३५	१६५५३
३०१-५०० युनिट	१५०	१५.३७	१.६०	१६.९७	१८.१०	७.१४%	-०.७९%	९.५६%	०.१०%	०.६३%	१८४	२४५४	२५६	२७११	-५	२८९१
५०० युनिट पेक्षा जास्त	१५५	१७.६३	१.६०	१९.२४	१९.५६	६.९०%	०.०४%	९.५६%	०.७७%	०.९८%	६९	३४४७	३१४	३७६१	-६	३८२४
	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
थ्री फेज शुल्क	-	-	-	-	-											
लघुदाब १: लघुदाब -घरगुती एकुण	-	-	-	-	**११.४२**					**१.५९%**	**४२६९**	**२५६४१**	**४८६६**	**३०५०७**	**-८८**	**३४६८८**
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती																
(अ) (१): ०-२० कि.वॅ.	५७५	८.८८	१.६०	१०.४९	१३.५४	४.५५%	४.१८%	९.५६%	४.९७%	४.४९%	१६९९	४८६६	८७९	५७४५	-२८	७४१६
(ब): >२० कि.वॅ. आणि **≤ ५०** कि.वॅ.	६००	१३.७५	१.६०	१५.३६	१७.४१	५.२६%	४.९५%	९.५६%	५.४१%	३.९४%	३३३	२१४१	२५०	२३९१	-१४	२७१०
(कú): >५० कि.वॅ.	६००	१६.३९	१.६०	१७.९९	१९.८७	५.२६%	४.९१%	९.५६%	५.३१%	४.०५%	३००	२४५८	२४१	२६९८	-१९	२९८०
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती एकुण					**१५.३६**					**४.७६%**	**२,३३३**	**९,४६४**	**१,३७०**	**१०,८३४**	**-६१**	**१३,१०६**
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW)																
अ**):** ०-२० कि.वॅ.	१७३	४.९६	१.६०	६.५७	६.९४	१५.३३%	८.२६%	९.५६%	८.५८%	९.००%	२८	३६७	११९	४८६	-	५१३
(ब) > २० कि.वॅ. आणि **≤ ४०** कि.वॅ.	२०७	७.७५	१.६०	९.३६	१०.०५	१५.००%	८.२८%	९.५६%	८.५०%	९.०२%	१०	११५	२४	१३९	-	१४९
(क) >४० कि.वॅ.	२५३	१०.३४	१.६०	११.९५	१३.१५	१५.००%	८.१६%	९.५६%	८.३५%	९.०५%	१८	१५१	२३	१७४	-	१९१
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**	**-**	**-**	**-**	**-**	**८.२६**					**९.०१%**	**५५**	**६३३**	**१६६**	**७९९**	**-**	**८५४**
लघुदाब ४: लघुदाब-कृषी																
लघुदाब ४ (अ): लघुदाब-कृषी मीटर नसलेले पंप	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-
प्रवर्ग १ **(**वार्षिक १३१८ तास**/**अ.श.**/**वर्ष पेक्षा जास्त वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे**)**																
(अ) ०-५ अ.श.	४५४	-	१६०.४७	१६०.४७	७.२०	-८.८०%		९.५६%	९.५६%	-४.७०%	१७७७	-	६२८	६२८	-	२४०५
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	५००	-	१६०.४७	१६०.४७	१२.७३	-८.८०%		९.५६%	९.५६%	-५.००%	४६२	-	१४८	१४८	-	६१०
(कú) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	५५९	-	१६०.४७	१६०.४७	-	-८.८०%		९.५६%	९.५६%		-	-	-	-	-	-
प्रवर्ग २ **(**वार्षिक १३१८ तास**/**अ.श.**/**वर्ष पेक्षा कमी वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे**)**																
(अ) ०-५ अ.श. पर्यंत	३६३	-	१६०.४७	१६०.४७	२.९०	-८.८०%		९.५६%	९.५६%	-३.९४%	१४९४	-	६६०	६६०	-	२१५४
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	४००	-	१६०.४७	१६०.४७	७.३६	-८.८०%		९.५६%	९.५६%	-४.२८%	५५८	-	२२४	२२४	-	७८२
(क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	४६४	-	१६०.४७	१६०.४७		-८.८०%		९.५६%	९.५६%		-	-	-	-	-	-
लघुदाब ४ (ब): लघुदाब- कृषी मीटर असलेले कृषीपंप	**७०**	**२.७१**	**१.६०**	**४.३१**	**४.८३**	**१६.६७%**	**-१३.८२%**	**९.५६%**	**-६.३९%**	**-४.४०%**	**१,३३७**	**६,९८३**	**४,१३८**	**११,१२१**	**-**	**१२,४५७**
लघुदाब ४ (क): लघुदाब-कृषी, मीटर असलेले इतर	**२३०**	**७.८१**	**१.६०**	**९.४२**	**११.३१**	**१५.००%**	**-०.६२%**	**९.५६%**	**०.९८%**	**३.६१%**	**४३**	**१७६**	**३६**	**२१२**	**-**	**२५५**
लघुदाब ४): लघुदाब कृषी एकुण					**४.८५**					**-४.३०%**	**५,६७०**	**७,१५८**	**५,८३४**	**१२,९९३**	**-**	**१८,६६३**
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब- औद्योगिक -यंत्रमाग																
(i) ०-२० कि.वॅ.	७२०	७.३२	१.६०	८.९४	९.६२	१०.७७%	६.९५%	९.५६%	७.४१%	७.६६%	४६	३०१	६६	३६६	-	४१२
(ii) २० कि.वॅ.पेक्षा जास्त	४४५	८.५०	१.६०	१०.९७	१२.२८	७.२३%	७.४६%	९.५६%	७.७९%	८.०७%	१८२	१,५०२	२८४	१,७८६	३	१,९७०

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२६-२७ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२६-२७ (%वाढ)					आ.व. २०२६-२७ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब -औद्योगिक-यंत्रमाग एकुण	-	-	-	-	**१०.९४**					**८.००%**	**२२७**	**१,८०३**	**३४९**	**२,१५२**	**३**	**२,३८२**
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
(i) ०-२० कि.वॅ.	७२०	७.३४	१.६०	८.९३	१०.०४	१०.७७%	३.३१%	९.५६%	४.३८%	४.१५%	३१९	३,४५४	७५६	४,२१०	-	४,५२९
(ii) २० कि.वॅ. पेक्षा जास्त	४४५	९.३७	१.६०	१०.१०	११.१५	७.२३%	३.६६%	९.५६%	४.४८%	३.३४%	१,५२७	७,७२०	१,३२२	९,०४२	-४४६	१०,१२३
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य एकुण	-	-	-	-	**११.३१**					**३.५७%**	**१,८४७**	**११,१७४**	**२,०७८**	**१३,२५२**	**-४४६**	**१४,६५२**
लघुदाब ५: लघुदाब -औद्योगिक एकुण	-	-	-	-	**११.२६**					**४.२७%**	**२,०७४**	**१२,९७६**	**२,४२७**	**१५,४०४**	**-४४३**	**१७,०३४**
लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे																
(अ) ग्रामपंचायत**:** अ**.**ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका	१७५	८.०९	१.६०	९.७०	१०.५२	९.३८%	१.६८%	९.५६%	२.९०%	३.५५%	६३	६२३	१२४	७४७	-	८१०
(ब) महानगरपालिका क्षेत्र	१७५	९.८८	१.६०	११.४८	१२.९१	९.३८%	१.६५%	९.५६%	२.६९%	३.६१%	५५	३८३	६२	४४५	-	५००
लघुदाब ६: लघुदाब - पथदिवे एकुण	-	-	-	-	**११.३१**					**३.५७%**	**११८**	**१,००६**	**१८६**	**१,१९२**	**-**	**१३१०**
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
(i): ≤ २० कि.वॅ.	४५०	४.१५	१.६०	५.७५	१२.४०	०.००%	२.७३%	९.५६%	४.५५%	६.०९%	४८	३०	१२	४१	-	८९
(ii): > २० कि.वॅ. - **≤५०** कि.वॅ.	४५०	७.२३	१.६०	८.८३	१०.६१	०.००%	२.८०%	९.५६%	३.९७%	३.४७%	५	११	२	१३	-२	१६
(iii): > ५० कि.वॅ.	४५०	८.९४	१.६०	१०.५४	१२.५०	०.००%	२.७२%	९.५६%	३.७१%	३.३४%	४	१३	२	१५	-२	१८
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण	-	-	-	-	**१२.१४**					**५.३४%**	**५७**	**५३**	**१६**	**७०**	**-४**	**१२३**
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर																
(i): ≤ २० कि.वॅ.	६२५	५.६२	१.६०	७.२२	९.६२	१३.६४%	-४.१८%	९.५६%	-१.४४%	३.५६%	९४	२२०	६३	२८३	-	३७७
(ii): > २० कि.वॅ. - **≤५०** कि.वॅ.	६२५	९.९५	१.६०	११.५६	१४.६०	१३.६४%	-२.५७%	९.५६%	-१.०५%	३.३६%	५८	१४४	२३	१६७	-१४	२१२
(iii): > ५० कि.वॅ.	६२५	१०.३५	१.६०	११.९५	१४.४८	१३.६४%	-१.८१%	९.५६%	-०.४२%	३.१७%	७३	२२४	३५	२५९	-१८	३१३
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण	-	-	-	-	**११.९८**					**३.३८%**	**२२५**	**५८८**	**१२१**	**७०९**	**-३२**	**९०२**
लघुदाब ७: सार्वजनिक सेवा- एकुण	-	-	-	-	**१२.००**					**३.६१%**	**२८२**	**६४२**	**१३७**	**७७९**	**-३६**	**१,०२५**
लघुदाब ८: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन	-	**१०.१४**	**१.६०**	**११.७४**	**११.३१**		**२.८३%**	**९.५६%**	**३.७०%**	**३.५७%**	**-**	**३९१**	**६२**	**४५३**	**-१७**	**४३७**
लघुदाब एकुण					**९.०८**					**२.३८%**	**१४,८०२**	**५७,९११**	**१५,०४८**	**७२,९५९**	**-६४४**	**८७,११७**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२७-२८ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२७-२८ (%वाढ)					आ.व. २०२७-२८ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
लघुदाब (घरगुती)																
लघुदाब १ (अ): लघुदाब घरगुती (दारिद्रय रेषेखालील)	**४८**	**१.५९**		**१.५९**	**३.४६**	**२०.००%**	**०.६१%**		**०.६१%**	**४.८९%**	**८**	**७**	**-**	**७**	**-**	**१४**
लघुदाब १ (ब): लघुदाब- घरगुती																
१-१०० युनिट	१४५	३.३८	१.६७	५.०५	७.०४	३.५७%	-१८.७९%	४.२९%	-१२.३६%	-८.५६%	**३११४**	५२०३	२५७८	७७८१	-४७	१०८४८
१०१-३०० युनिट	१५०	११.५३	१.६७	१३.२०	१४.०८	३.४५%	१.५९%	४.२९%	१.९२%	१.७१%	११७०	१४९०५	२१६३	१७०६८	-४०	१८१९९
३०१-५०० युनिट	१५५	१५.५८	१.६७	१७.२६	१८.५३	३.३३%	१.४१%	४.२९%	१.६८%	२.४०%	१९७	२३४९	२५२	२६०१	-५	२७९३
५०० युनिट पेक्षा जास्त	१६०	१७.८९	१.६७	१९.५६	१९.९३	३.२३%	१.४२%	४.२९%	१.६६%	१.८६%	७४	३३००	३०९	३६०८	-६	३६७६
थ्री फेज शुल्क	-															
लघुदाब १: लघुदाब -घरगुती एकुण	-				**११.२०**					**-१.९७**%	**४५६३**	**२५७६३**	**५३०३**	**३१०६६**	**-९७**	**३५५३२**
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती																
(अ) (१): ०-२० कि.वॅ.	६००	९.१८	१.६७	१०.८५	१३.९८	४.३५%	३.३२%	४.२९%	३.४७%	३.२९%	१८३४	५२२८	९५३	६१८२	-५०	७९६६
(ब): >२० कि.वॅ. आणि **≤ ५०** कि.वॅ.	६२५	१४.१८	१.६७	१५.८६	१८.०२	४.१७%	३.१३%	४.२९%	३.२५%	३.५१%	३६३	२२९०	२७०	२५६०	-१४	२९०९
(कú): >५० कि.वॅ.	६२५	१६.९१	१.६७	१८.५८	२०.५६	४.१७%	३.१९%	४.२९%	३.२८%	३.४८%	३२७	२६३२	२६१	२८९३	-१९	३२०१
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१५.८७**					**३.३६%**	**२५२४**	**१०१५०**	**१४८४**	**११६३४**	**-८२**	**१४०७६**
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW)																
अ**):** ०-२० कि.वॅ.	२००	५.४५	१.६७	७.१२	७.५६	१५.६१%	९.८५%	४.२९%	८.४९%	८.९७%	३३	४१७	१२८	५४५		५७९
(ब) > २० कि.वॅ. आणि **≤** ४० कि.वॅ.	२३८	८.४७	१.६७	१०.१५	१०.९५	१४.९८%	९.२८%	४.२९%	८.४२%	८.९९%	१२	१३०	२६	१५६		१६८
(क) >४० कि.वॅ.	२९०	११.२६	१.६७	१२.९४	१४.३४	१४.६२%	८.९१%	४.२९%	८.२९%	९.०३%	२१	१७०	२५	१९५		२१६
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**	-	-	-	-	९.००					८.९९%	६७	७१७	१७९	८९६		९६३
लघुदाब ४: लघुदाब-कृषी																

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२७-२८ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२७-२८ (%वाढ)					आ.व. २०२७-२८ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
लघुदाब ४ (अ): लघुदाब-कृषी मीटर नसलेले पंप	-															
प्रवर्ग १ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./वर्ष पेक्षा जास्त वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)																
(अ) ०-५ अ.श.	४१०	-	१६७.३५	१६७.३५	६.८०	-९.७९%		४.२९%	४.२९%	-५.५३%	१६०३		६५५	६५५		२२५८
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	४५१		१६७.३५	१६७.३५	११.९९	-९.७९%		४.२९%	४.२९%	-५.७९%	४१६		१५५	१५५		५७१
(क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	५०५		१६७.३५	१६७.३५		-९.७९%		४.२९%	४.२९%		-	-	-	-	-	-
प्रवर्ग २ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./वर्ष पेक्षा कमी वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)																
(अ) ०-५ अ.श. पर्यंत	३२८		१६७.३५	१६७.३५	२.७५	-९.७९%		४.२९%	४.२९%	-४.८९%	१३४८		६८८	६८८		२०३६
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	३६०		१६७.३५	१६७.३५	६.९८	-९.७९%		४.२९%	४.२९%	-५.१७%	५०३		२३४	२३४		७३७
(क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	४१८		१६७.३५	१६७.३५	-	-९.७९%		४.२९%	४.२९%		-	-	-	-	-	-
लघुदाब ४ (ब): लघुदाब- कृषी मीटर असलेले कृषीपंप	**८०**	**२.३१**	**१.६७**	**३.९९**	**४.५८**	**१४.२९%**	**-१४.५९%**	**४.२९%**	-७.५६%	**-५.२८%**	**१५४३**	**६०५३**	**४३८०**	**१०४३४**		**११९७६**
लघुदाब ४ (क): लघुदाब-कृषी, मीटर असलेले इतर	**२७०**	**७.४१**	**१.६७**	**९.०८**	**११.३८**	**१७.३९%**	**-५.२०%**	**४.२९%**	-३.५८%	**०.६२%**	**५३**	**१६९**	**३८**	**२०७**	**-**	**२६०**
लघुदाब ४): लघुदाब कृषी एकुण	-	-	-	-	४.६०	-	-	-	-	-५.१९%	५४६६	६२२२	६१५०	१२३७२	-	१७८३८
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब- औद्योगिक -यंत्रमाग																
(i) ०-२० कि.वॅ.	७८०	७.५५	१.६७	९.२२	१०.४२	८.३३%	३.०८%	४.२९%	३.३०%	३.७४%	५०	३१६	७०	३८६	-	४३६
(ii) २० कि.वॅ.पेक्षा जास्त	४८०	८.७६	१.६७	१०.४४	११.६१	७.८७%	३.१२%	४.२९%	३.३१%	४.१५%	२०५	१५८०	३०२	१८८२	६	२०९३
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब -औद्योगिक-यंत्रमाग एकुण	-	-	-	-	११.३८					४.०८%	२५५	१८९६	३७२	२२६८	६	२५२९
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य	-															
(i) ०-२० कि.वॅ.	७८०	७.३७	१.६७	९.०४	९.७२	८.३३%	०.४१%	४.२९%	१.१०%	१.०६%	३५९	३८८५	८८३	४७६७	-	५१२७
(ii) २० कि.वॅ. पेक्षा जास्त	४८०	९.३६	१.६७	११.०३	१२.३४	७.८७%	-०.१३%	४.२९%	०.५२%	०.४४%	१७१३	८६१५	१५४१	१०१५६	-५०८	११३६२
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३८**					**०.६२%**	**२०७३**	**१२५००**	**२४२४**	**१४९२४**	**-५०८**	**१६४८८**
लघुदाब ५: लघुदाब -औद्योगिक एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**११.३८**					**१.१०%**	**२३२८**	**१४३९६**	**३७९५**	**१७१९१**	**-५०२**	**१९०१७**
लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे																
(अ) ग्रामपंचायत: अ.ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका	१९०	७.९९	१.६७	९.६७	१०.५८	८.५७%	-१.२०%	४.२९%	-०.२९%	०.५९%	७२	६२९	१३२	७६१	-	-८३३
(ब) महानगरपालिका क्षेत्र	१९०	९.७४	१.६७	११.४१	१२.९९	८.५७%	-१.४२%	४.२९%	-०.६२%	०.६६%	६३	३८५	६६	४५२	-	५१४
लघुदाब ६: लघुदाब - पथदिवे एकुण	**-**				**११.३८**					**०.६२%**	**१३४**	**१०१५**	**१९८**	**१२१३**	**-**	**१३४७**
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय	-															
(i): ≤ २० कि.वॅ.	४५०	३.९६	१.६७	५.६४	१२.७८	०.००%	-४.४५%	४.२९%	-२.०१%	३.०९%	५३	२९	१२	४१	-	९४
(ii): > २० कि.वॅ. - ≤५० कि.वॅ.	४५०	७.१०	१.६७	८.७८	१०.६५	०.००%	-१.६९%	४.२९%	-०.६०%	०.४५%	५	११	३	१४	-२	१७
(iii): > ५० कि.वॅ.	४५०	८.८०	१.६७	१०.४७	१२.५४	०.००%	-१.५५%	४.२९%	-०.६६%	०.३२%	५	१३	२	१५	-२	१८
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण	**-**				**१२.४३**					**२.३५%**	**६२**	**५३**	**१७**	**७०**	**-४**	**१२९**
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर																
(i): < २० कि.वॅ.	६२५	५.४२	१.६७	७.१०	९.६८	०.००%	-३.४९%	४.२९%	-१.७६%	०.५७%	१०३	२१७	६७	२८४	-	३८७
(ii): > २० कि.वॅ. - ≤५० कि.वॅ.	६२५	९.७३	१.६७	११.४०	१४.६५	०.००%	-२.२५%	४.२९%	-१.३४%	०.३५%	६३	१४४	२५	१६९	-१५	२१७
(iii): > ५० कि.वॅ.	६२५	१०.१३	१.६७	११.८०	१४.५१	०.००%	-२.१२%	४.२९%	-१.२६%	०.१५%	७९	२२४	३७	२६१	-१९	३२०
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१२.०२**					**०.३८%**	**२४५**	**५८४**	**१२९**	**७१३**	**-३४**	**९२४**
लघुदाब ७: सार्वजनिक सेवा- एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**१२.०७**					**०.६१%**	**३०७**	**६३७**	**१४६**	**७८३**	**-३८**	**१०५२**
लघुदाब ८: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन	**-**	**१०.१४**	**१.६७**	**११.८२**	**११.३८**		**०.०२%**	**४.२९%**	**०.६१%**	**०.६२%**		**५९६**	**९८**	**६९४**	**-२५**	**६६९**
लघुदाब एकुण	**-**	**-**	**-**	**-**	**९.०७**					**-०.१५%**	**१५३९०**	**५९४९६**	**१६३५४**	**७५८५०**	**-७४५**	**९०४९५**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२८-२९ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२८-२९ (%वाढ)					आ.व. २०२८-२९ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
लघुदाब (घरगुती)																
लघुदाब १ (अ): लघुदाब घरगुती (दारिद्रय रेषेखालील)	**५५**	**१.६९**		**१.६९**	**३.६३**	**१४.५८%**	**६.०२%**		**६.०२%**	**५.००%**	**९**	**७**	**-**	**७**	**-**	**१६**
लघुदाब १ (ब): लघुदाब- घरगुती																
१-१०० युनिट	१४५	२.५२	१.७१	४.२३	६.२०	०.००%	-२५.३३%	२.०८%	-१६.२५%	-११.९०%	३२१५	४०४०	२७३७	६७७७	-५२	९९४०

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२८-२९ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२८-२९ (%वाढ)					आ.व. २०२८-२९ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
१०१-३०० युनिट	१५०	९.५५	१.७१	११.२५	१२.०९	०.००%	-१७.२२%	२.०८%	-१४.७७%	-१४.१२%	१२०८	१३२५३	२३७२	१५६२५	-४५	१६७८८
३०१-५०० युनिट	१५५	१५.३२	१.७१	१७.०३	१८.५५	०.००%	-१.७१%	२.०८%	-१.३४%	०.११%	२०३	१९९५	२२३	२२१८	-४	२४१७
५०० युनिट पेक्षा जास्त	१६०	१६.६९	१.७१	१८.३९	१८.८४	०.००%	-६.७०%	२.०८%	-५.९५%	-५.४६%	७६	२६६०	२७२	२९३३	-५	३००३
थ्री फेज शुल्क										-	-	-	-	-	-	-
लघुदाब १: लघुदाब -घरगुती एकुण	-	-			**९.७९**					**-१२.५७%**	**४७१०**	**२१९५६**	**५६०४**	**२७५६०**	**-१०६**	**३२१६४**
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती																
(अ) (१): ०-२० कि.वॅ.	६००	९.५५	१.७१	११.२६	१४.३८	०.००%	४.०६%	२.०८%	३.७५%	२.८१%	१८९८	५६५८	१०१२	६६७०	-५०	८५१८
(ब): >२० कि.वॅ. आणि ≤ ५० कि.वॅ.	६२५	१४.६७	१.७१	१६.३८	१८.६२	०.००%	३.४१%	२.०८%	३.२७%	३.३४%	३७९	२३९३	२७९	२६७२	-१३	३०३९
(क): >५० कि.वॅ.	६२५	१७.४७	१.७१	१९.१७	२१.२३	०.००%	३.३०%	२.०८%	३.१९%	३.२६%	३४२	२७५०	२६९	३०१९	-१८	३३४३
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती एकुण					**१६.३२**					**२.८०%**	**२६१९**	**१०८०२**	**१५६०**	**१२३६२**	**-८१**	**१४८९९**
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW)																
अ): ०-२० कि.वॅ.	२३०	६.०२	१.७१	७.७३	८.२४	१५.००%	१०.४७%	२.०८%	८.५०%	८.९८%	४०	४७६	१३५	६११		६५२
(ब) > २० कि.वॅ. आणि ≤ ४० कि.वॅ.	२७०	९.३०	१.७१	११.०१	११.९४	१३.४५%	९.७८%	२.०८%	८.५१%	९.०१%	१५	१४८	२७	१७५		१९०
(क) >४० कि.वॅ.	३३५	१२.२८	१.७१	१३.९९	१५.६४	१५.५२%	९.०४%	२.०८%	८.१४%	९.०५%	२६	१९१	२७	२१८		२४३
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**					**९.८१**					**९.००%**	**८१**	**८१५**	**१८९**	**१००४**		**१०८४**
लघुदाब ४: लघुदाब-कृषी																
लघुदाब ४ (अ): लघुदाब-कृषी मीटर नसलेले पंप																
प्रवर्ग १ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./वर्ष पेक्षा जास्त वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)																
(अ) ०-५ अ.श.	३०८		१७०.८३	१७०.८३	५.७१	-२४.७३%		२.०८%	२.०८%	-१६.०३%	१२०७		६६९	६६९		१८७५
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	३३९		१७०.८३	१७०.८३	१०.०१	-२४.७३%		२.०८%	२.०८%	-१६.५५%	३१३		१५८	१५८		४७१
(क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	३८०		१७०.८३	१७०.८३		-२४.७३%		२.०८%	२.०८%							
प्रवर्ग २ (वार्षिक १३१८ तास/अ.श./वर्ष पेक्षा कमी वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे)																
(अ) ०-५ अ.श. पर्यंत	२४७		१७०.८३	१७०.८३	२.३५	-२४.७३%		२.०८%	२.०८%	-१४.७२%	१०१४		७०३	७०३		१७१७
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	२७१		१७०.८३	१७०.८३	५.९१	-२४.७३%		२.०८%	२.०८%	-१५.२९%	३७९		२३९	२३९		६१८
(क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	३१५		१७०.८३	१७०.८३		-२४.७३%		२.०८%	२.०८%							
लघुदाब ४ (ब): लघुदाब- कृषी मीटर असलेले कृषीपंप	**६४**	**१.६९**	**१.७१**	**३.४०**	**३.८७**	**-२०.००%**	**-२६.९९%**	**२.०८%**	**-१४.७९%**	**-१५.५१%**	**१२४७**	**४४८६**	**४५३८**	**९०२४**		**१०२७१**
लघुदाब ४ (क): लघुदाब-कृषी, मीटर असलेले इतर	**२७०**	**६.६४**	**१.७१**	**८.३५**	**१०.७३**	**०.००%**	**-१०.३६%**	**२.०८%**	**-८.०७%**	**-५.७४%**	**५५**	**१५४**	**४०**	**१९४**		**२४९**
लघुदाब ४): लघुदाब कृषी एकुण					**३.८९**					**-१५.३५%**	**४२१५**	**४६४०**	**६३४६**	**१०९८५**		**१५२००**
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब- औद्योगिक -यंत्रमाग																
(i) ०-२० कि.वॅ.	७८०	६.९०	१.७१	८.६१	९.७९	०.००%	-८.६५%	२.०८%	-६.७०%	**-६.०५%**	५१	२९४	७३	३६७	-	४१८
(ii) २० कि.वॅ.पेक्षा जास्त	४८०	८.०३	१.७१	९.७४	१०.९५	०.००%	-८.३५%	२.०८%	-६.६८%	-५.६७%	२१५	१४७७	३१४	१७९१	**७**	२०१४
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब -औद्योगिक-यंत्रमाग एकुण	-	-	-	-	**१०.७३**					**-५.७४%**	**२६६**	**१७७१**	**३८७**	**२१५८**	**७**	**२४३२**
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य																
(i) ०-२० कि.वॅ.	७८०	६.८५	१.७१	८.५६	९.२०	०.००%	-७.००%	२.०८%	-५.३२%	-५.४०%	३७३	४००९	१०००	५००८		५३८१
(ii) २० कि.वॅ. पेक्षा जास्त	४८०	८.६९	१.७१	१०.४०	११.६१	०.००%	-७.०६%	२.०८%	-५.६८%	-५.८७%	१७८२	८८६५	१७४२	१०६०७	-५४८	११८४२
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य एकुण					**१०.७३**					**-५.७४%**	**२१५५**	**१२८७४**	**२७४१**	**१५६१५**	**-५४८**	**१७२२३**
लघुदाब ५: लघुदाब -औद्योगिक एकुण					**१०.७३**					**-५.७४%**	**२४२१**	**१४६४५**	**३१२९**	**१७७७४**	**-५४०**	**१९६५४**
लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे																
(अ) ग्रामपंचायत: अ.ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका	१९०	७.३३	१.७१	९.०४	९.९७	०.००%	-८.३२%	२.०८%	-६.५२%	-५.७६%	७५	५८९	१३७	७२६	-	८०१
(ब) महानगरपालिका क्षेत्र	१९०	८.९३	१.७१	१०.६३	१२.२५	०.००%	-८.३२%	२.०८%	-६.८०%	-५.७०%	६५	३६१	६९	४३०	-	४९६
लघुदाब ६: लघुदाब - पथदिवे एकुण					**१०.७३**					**-५.७४%**	**१४०**	**९५०**	**२०६**	**११५७**	**-**	**१२९७**
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय																
(i): ≤ २० कि.वॅ.	४५०	२.९६	१.७१	४.६७	१२.३६	०.००%	-२५.२७%	२.०८%	-१७.१६%	-३.३३%	५८	२२	१३	३५	-	९३
(ii): > २० कि.वॅ. - ≤५० कि.वॅ.	४५०	६.२६	१.७१	७.९६	१०.०२	०.००%	-११.९३%	२.०८%	-९.२६%	-५.९०%	५	१०	३	१३	-२	१६
(iii): > ५० कि.वॅ.	४५०	७.८१	१.७१	९.५२	११.७८	०.००%	-११.१९%	२.०८%	-९.०७%	-६.०४%	५	११	२	१४	-२	१७
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण	-	-			**११.९३**					**-४.०४%**	**६८**	**४४**	**१८**	**६२**	**-४**	**१२६**
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर																
(i): ≤ २० कि.वॅ.	६२५	४.६३	१.७१	६.३२	९.१२	०.००%	-१४.५६%	२.०८%	-१०.६४%	-५.७५%	११३	१८९	७०	२५९	-	३७२

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२८-२९ (प्रस्तावित)					आ.व. २०२८-२९ (%वाढ)					आ.व. २०२८-२९ (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
(ii): > २० कि.वॅ. - **≤५०** कि.वॅ.	६२५	८.५४	१.७१	१०.२५	१३.७७	०.००%	-**१२.**१६%	२.०८%	-१०.०७%	-५.९९%	६८	१२९	२६	१५५	-१५	२०८
(iii): > ५० कि.वॅ.	६२५	८.९७	१.७१	१०.६७	१३.६१	०.००%	-११.४७%	२.०८%	-९.५५%	-६.१९%	८५	२०२	३८	२४१	-१९	३०७
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण	-	-			११.३१					-५.९६%	२६७	५२०	१३४	६५४	-३४	८८६
लघुदाब ७: सार्वजनिक सेवा- एकुण	-	-			११.३८					-५.७२%	३३५	५६३	१५२	७१५	-३८	१०१२
लघुदाब ८: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन	-	९.४५	१.७१	११.१६	१०.७३		-६.८५%	२.०८%	-५.५९%	-५.७४%		८२९	१५०	९७९	--३७	९४१
लघुदाब एकुण	**-**				**८.३४**					**-८.०२%**	**१४५२१**	**५५२००**	**१७३३५**	**७२५३५**	**-८०३**	**८६२५३**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२९-३० (प्रस्तावित)					आ.व. २०२९-३० (%वाढ)					आ.व. २०२९-३० (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
लघुदाब (घरगुती)																
लघुदाब १ (अ): लघुदाब घरगुती (दारिद्रय रेषेखालील)	**६५**	**१.७२**		**१.७२**	**३.८२**	**१८.१८%**	**१.९८%**		**१.९८**%	**५.००**%	**१०**	**८**		**८**		**१७**
लघुदाब १ (ब): लघुदाब- घरगुती																
१-१०० युनिट	१४५	२.२०	१.७१	३.९१	५.८७	०.००%	-१२.८०%	०.३५%	-७.४९%	-५.३७%	३३१८	३६६४	२८५७	६५२१	-५७	९७८२
१०१-३०० युनिट	१५०	९.३०	१.७१	११.०२	११.८२	०.००%	-२.५३%	०.३५%	-२.०९%	-२.२५%	१२४७	१३८९४	२५६०	१६४५४	-५१	१७६५०
३०१-५०० युनिट	१५५	१५.५९	१.७१	१७.३१	१९.५०	०.००%	१.८१%	०.३५%	१.६६%	५.१०%	२१०	१४६९	१६२	१६३१	-३	१८३७
५०० युनिट पेक्षा जास्त	१६०	१७.२४	१.७१	१८.९५	१९.६०	०.००%	३.३२%	०.३५%	३.०४%	४.०४%	७८	१९८८	१९८	२१८६	-४	२२६०
थ्री फेज शुल्क																
लघुदाब १: लघुदाब -घरगुती एकुण					**९.३५**					**-४.५१**%	**४८६२**	**२१०२३**	**५७७६**	**२६७९९**	**-११५**	**३१५४७**
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती																
(अ) (१): ०-२० कि.वॅ.	६००	१०.२६	१.७१	११.९७	१५.०८	०.००%	७.४५%	०.३५%	६.३७%	४.८७%	१९६४	६३२३	१०५६	७३७९	-५३	९२९०
(ब): >२० कि.वॅ. आणि **≤ ५०** कि.वॅ.	६२५	१५.६१	१.७१	१७.३३	१९.६९	०.००%	६.४४%	०.३५%	५.८०%	५.७२%	३९७	२५१६	२७६	२७९२	-१६	३१७२
(क): >५० कि.वॅ.	६२५	१८.५४	१.७१	२०.२५	२२.४२	०.००%	६.१५%	०.३५%	५.६३%	५.५८%	३५७	२८८५	२६७	३१५१	-२१	३४८८
लघुदाब २: लघुदाब -बिगर घरगुती एकुण					**१७.१०**					**४.७८**%	**२७१८**	**११७२३**	**१५९९**	**१३३२३**	**-९०**	**१५९५०**
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW)																
अ**)**: ०-२० कि.वॅ.	२७०	६.५९	१.७१	८.३०	८.९१	१७.३९%	९.४०%	०.३५%	७.४०%	८.१४%	५०	५३८	१४०	६७७		७२७
(ब) > २० कि.वॅ. आणि **≤ ४०** कि.वॅ.	३१०	१०.१२	१.७१	११.८३	१२.९२	१४.८१%	८.७५%	०.३५%	७.४४%	८.१७%	१८	१६६	२८	१९४		२१२
(क) >४० कि.वॅ.	३८५	१३.२८	१.७१	१५.००	१६.९२	१४.९३%	८.१५%	०.३५%	७.१९%	८.२२%	३१	२१३	२८	२४१		२७२
लघुदाब ३: लघुदाब सार्वजनिक पाणीपुरवठा (PWW) **एकुण**					**१०.६१**					**८.१७**%	**९८**	**९१७**	**१९६**	**१११२**		**१२११**
लघुदाब ४: लघुदाब-कृषी																
लघुदाब ४ (अ): लघुदाब-कृषी मीटर नसलेले पंप																
प्रवर्ग १ **(**वार्षिक १३१८ तास**/**अ.श.**/**वर्ष पेक्षा जास्त वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे**)**																
(अ) ०-५ अ.श.	३२५		१७१.४३	१७१.४३	५.७३	५.३६%		०.३५%	०.३५%	०.३६%	१२७१		६७१	६७१		१९४२
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	३५७		१७१.४३	१७१.४३	१०.०५	५.३६%		०.३५%	०.३५%	०.४६%	३३०		१५८	१५८		४८९
(क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	४००		१७१.४३	१७१.४३		५.३६%		०.३५%	०.३५%							
प्रवर्ग २ **(**वार्षिक १३१८ तास**/**अ.श.**/**वर्ष पेक्षा कमी वीज वापराचे प्रमाण असलेली परिमंडळे**)**																
(अ) ०-५ अ.श. पर्यंत	२६०		१७१.४३	१७१.४३	२.३५	५.३६%		०.३५%	०.३५%	०.१०%	१०६९		७०५	७०५		१७७४
(ब) ५ अ.श. ते ७.५ अ.श.	२८६		१७१.४३	१७१.४३	५.९२	५.३६%		०.३५%	०.३५%	०.२१%	३९९		२३९	२३९		६३९
(क) ७.५ अ.श. पेक्षा जास्त	३३२		१७१.४३	१७१.४३		५.३६%		०.३५%	०.३५%							
लघुदाब ४ (ब): लघुदाब- कृषी मीटर असलेले कृषीपंप	**६४**	**१.६९**	**१.७१**	**३.४१**	**३.८८**	**०.००%**	**०.३६**%	**०.३५%**	**०.३६%**	**०.२५**%	**१२५९**	**४५७०**	**४६२३**	**९१९२**		**१०४५१**
लघुदाब ४ (क): लघुदाब-कृषी, मीटर असलेले इतर	**२७०**	**६.४३**	**१.७१**	**८.१५**	**१०.६१**	**०.००%**	**-३.११**%	**०.३५%**	**-२.४०%**	**-१.१०**%	**५८**	**१५१**	**४०**	**१९२**		**२५०**
लघुदाब ४): लघुदाब कृषी एकुण					**३.९०**			~~**०.३५%**~~		**०.२२%**	**४३८७**	**४७२१**	**६४३७**	**१११५८**		**१५५४४**
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब- औद्योगिक -यंत्रमाग																
(i) ०-२० कि.वॅ.	७८०	६.७६	१.७१	८.४८	९.६५	०.००	-१.९५%	०.३५%	-१.५० %	-१.४३ %	५१	२९४	७५	३६९		४२०
(ii) २० कि.वॅ.पेक्षा जास्त	४८०	७.९०	१.७१	९.६१	१०.८४	०.००	-१.६४%	०.३५%	-१.२९%	-१.०३ %	२२६	१४८२	३२२	१८०३	३	२०३३
लघुदाब ५ (अ): लघुदाब -औद्योगिक-यंत्रमाग एकुण					**१०.६१**					**-१.१०**%	**२७७**	**१७७६**	**३९६**	**२१७२**	**३**	**२४५३**

ग्राहक वर्गवारी	आ.व. २०२९-३० (प्रस्तावित)					आ.व. २०२९-३० (%वाढ)					आ.व. २०२९-३० (महसुल)					
	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	स्थिर आकार	वीज आकार	वहन आकार	अस्थिर आकार	सरासरी देयक दर	एकुण
		रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	रु/युनिट	%	%	%	%	%	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी	रु. कोटी
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य																
(i) ०-२० कि.वॅ.	७८०	६.८१	१.७१	८.५२	९.१२	०.००	-०.६२	०.३५%	-०४.३ %	-०.८०%	३८७	४३९०	११०६	५४९६		५८८३
(ii) २० कि.वॅ. पेक्षा जास्त	४८०	८.६५	१.७१	१०.३६	११.४७	०.००	-०.५४	०.३५%	-०.३९%	-१.२३%	१८५३	९७०२	१९२३	११६२५	-६०९	१२८६९
लघुदाब ५ (ब): लघुदाब- औद्योगिक- सामान्य एकुण					**१०.६१**					**-१.१०%**	**२२४१**	**१४०९२**	**३०२९**	**१७१२१**	**-६०९**	**१८७५२**
लघुदाब ५: लघुदाब -औद्योगिक एकुण					**१०.६१**					**-१.१०%**	**२५१८**	**१५८६८**	**३४२५**	**१९२९३**	**-६०६**	**२१२०५**
लघुदाब ६: लघुदाब -पथदिवे																
(अ) ग्रामपंचायत: अ.ब आणि क श्रेणीच्या नगरपालिका	१९०	७.१९	१.७१	८.९०	९.८६	०.००%	-१.९२ %	०.३५%	-१.४९%	-१.१३%	७८	५९०	१४१	७३१		८०९
(ब) महानगरपालिका क्षेत्र	१९०	८.७५	१.७१	१०.४७	१२.१२	०.००%	-१.९४ %	०.३५%	-१.५७%	-१.०६%	६८	३६२	७१	४३२		५०१
लघुदाब ६: लघुदाब - पथदिवे एकुण					१०.६१	०.००%				-१.१०	१४**६**	९५२	२१२	११६३		१३१०
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा- शासकीय																
(i): ≤ २० कि.वॅ.	४५०	२.५५	१.७१	४.२६	१२.५४	०.००%	-१३.९८	०.३५%	-८.७४%	१.४४ %	६३	२०	१३	३३		९६
(ii): > २० कि.वॅ. - <५० कि.वॅ.	४५०	५.९३	१.७१	७.६४	९.८९	०.००%	-५.२०	०.३५%	-४.०१%	-१.३५%	६	१०	३	१२	-२	१६
(iii): > ५० कि.वॅ.	४५०	७.४४	१.७१	९.१५	११.६१	०.००%	-४.८१	०.३५%	-३.८%	-१.५०%	६	११	३	१४	-२	१७
लघुदाब ७ (अ): सार्वजनिक सेवा-शासकीय एकुण					१२.०१					०.६९%	७५	४०	१८	५९	-४	१२९
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर																
(i): ≤ २० कि.वॅ.	६२५	४.३१	१.७१	६.०२	९.०२	०.००%	-७.०३%	०.३५%	-५.०४%	-१.१५%	१२५	१७९	७१	२५०		३७५
(ii): > २० कि.वॅ. - ≤५० कि.वॅ.	६२५	८.०७	१.७१	९.७८	१३.५७	०.००%	-५.५६%	०.३५%	-४.५६%	-१.४४%	७३	१२४	२६	१५०	-१५	२०९
(iii): > ५० कि.वॅ.	६२५	८.५१	१.७१	१०.२२	१३.३८	०.००%	-५.११%	०.३५%	-४.२३%	-१.६५%	९२	१९५	३९	२३५	-१९	३०८
लघुदाब ७ (ब): सार्वजनिक सेवा- इतर एकुण					११.१५					-१.३९%	२९०	४९९	१३७	६३६	-३५	८९१
लघुदाब ७: सार्वजनिक सेवा- एकुण					११.२५					-१.१३%	३६५	५३९	१५६	६९४	-३८	१०२१
लघुदाब ८: विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन		९.३४	१.७१	११.०५	१०.६१		१.१५%	०.३५%	-०.९२%	-१.१०%		११७९	२१६	१३९५	-५५	१३४०
लघुदाब एकुण					**८.३०**					**-०.५३%**	**१५०९४**	**५६९२१**	**१८०१६**	**७४९३७**	**-९०४**	**८९१२७**

त) प्रार्थना :-

महावितरण कंपनीची सन्माननीय आयोगास आदरपूर्वक प्रार्थना आहे की,

१) महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षिय वीजदर विनियम) २०१९ व २०२४ च्या तरतुदीनुसार बहुवर्षिय वीजदर याचिका मा. आयोगाने पुढील कार्यवाहीसाठी दाखल करुन घ्यावी.

२) महावितरण कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते आ.व. २०२९-३० साठी प्रस्तावित केलेली एकुण महसुलाची गरज व एकुण महसुली तुट इतर दाव्यांसह वसुल करण्यास परवानगी दयावी.

३) नियंत्रण कालावधीच्या उर्वरीत वर्षांसाठी महसुली तुटीवरील धारण खर्चास (Carrying Cost) परवानगी दयावी.

४) महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या वीजदरांची तत्वे व इतर सुचनांचा विचार करुन महसूली तुटीच्या वसुलीस धारण खर्चासह (Carrying Cost) व वीजदर पत्रकास मंजूरी मिळावी.

५) कृषी वर्गवारी करीता स्वतंत्र पुरवठा आकार निश्चित करुन देण्यात यावा.

६) सुधारित टीओडी (TOD) दर संरचनेस मंजूरी दयावी व ५ व्या नियंत्रण कालावधीच्या प्रत्येक वर्षी टीओडी (TOD) आकार तसेच त्याच्या टप्प्यांमधील बदलांबाबत महावितरणला स्वत:हून आपणाकडे येण्याची परवानगी दयावी.

७) महावितरणने गणना केल्यानुसार ग्रिड सहाय्य आकार वसूल करण्यास मान्यता दयावी.

८) २० केडब्ल्यु च्यावरील जोडभार असणाऱ्या लघुदाब ग्राहकांसाठी केव्हिएएच वर आधारित बिलिंगला मंजूरी दयावी.

९) महावितरणच्या परवाना क्षेत्रात असलेल्या एसईझेड आणि गृहीत परवानाधारकांना महावितरणसोबत आपातकालीन उपयोगी व्यवस्था (स्टँडबाय) करण्याचे निर्देश दयावे आणि महावितरणने विनंती केल्यानुसार आपातकालीन उपयोगी व्यवस्था (स्टँडबाय) आकार मंजूर करावे.

१०) महापारेषणद्वारे अतिउच्चदाब पायाभुत सुविधाचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कामे पुर्ण न झाल्यामुळे, महावितरणला वहन आकार आणि वहन हानी मुळे होणाऱ्या आर्थिक भाराची नुकसान भरपाई महापारेषणकडून करण्यास परवानगी देण्यात यावी.

११) छपरावरील सौर उर्जा यंत्रणेचा वापर करणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना सुधारित पद्धतीने बिलिंग करण्यास मंजूरी दयावी.

१२) डेटा सेंटर व सेमी कंडक्टर सारख्या प्रगतीशील उद्योगांना सुधारित हरित वीजदर (Green Tariff) आणि हरित आरटीसी (RTC) उर्जा देण्यास मंजुरी देणे.

१३) सौर तासांदरम्यान किमान ८ (आठ) तास चालणाऱ्या एका पाळीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या उच्चदाब उद्योगांना स्थिर / मागणी आकारात सवलत मंजूर करण्यात यावी.

१४) पुरवठयाच्या अनेक स्त्रोतांचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांसाठी अतिरिक्त स्थिर आकाराच्या प्रस्तावास मंजूरी दयावी.

१५) हरित उर्जा निर्माते तसेच वितरण मुक्त प्रवेश धारकांकडून रिअक्टिव (rkVAh) आकारात प्रस्तावित वाढ करण्यास मंजूरी दयावी.

१६) महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या स्थिर/ मागणी आकाराच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यास परवानगी मिळावी.

१७) मुक्त प्रवेश ग्राहकांसाठी नियंत्रण कालावधीकरीता प्रस्तावित केलेल्या क्रॉस सबसिडी अधिभार आणि वहन आकार तसेच वहन हानीसह इतर सर्व आकारास मंजूरी मिळावी.

१८) महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या विविध प्रकारच्या वीजवापरासाठी सुचविलेल्या वर्गीकरणास परवानगी दयावी.

१९) वार्षिक महसूलाच्या गरजेचा (ARR) भाग म्हणून प्रस्तावित केलेल्या सवलती / प्रोत्साहनांना मान्यता दयावी.

२०) महावितरणने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे सवलत व दंड तर्कसंगत (Rationalize) करण्यास मंजूरी दयावी.

२१) महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या शुल्क वेळापत्रकाला (Schedule of Charges) मान्यता दयावी.

२२) महावितरणने सादर केलेल्या भांडवली खर्चाला (Capex & Capitalization) मंजूरी दयावी.

२३) महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या ओपेक्स (Opex) योजना व त्यावरील खर्चाला मंजूरी दयावी.

२४) मा. आयोगास योग्य वाटेल असे सर्व सहाय्य मंजूर करावे.

२५) मा. आयोगास योग्य वाटेल असे कोणतेही आदेश, प्रकरणातील परिस्थिती तसेच न्याय हितांच्या दृष्टीने देण्यात यावे.

२६) मागिल कालावधीकरीताच्या नुतनशिल उर्जा खरेदी (RPO) बंधनाच्या तुटवड्यास आर्थिक वर्ष २०२९-३० पर्यंत मंजुरी द्यावी.

२७) कृषी विलगीकरण आणि अकृषीक व्यवसाय याकरीता नुतनशिल उर्जा खरेदी बंधनाच्या पुर्ततेसाठी मध्यावधी आढावा याचिकेदरम्यान पुन्ननिर्धारणास परवानगी द्यावी

२८) कोणतीही चुक / भुल झाली असल्यास ती क्षमापित करावी आणि ती सुधारण्याची संधी देण्यात यावी.

२९) सदर विनंती अर्ज सादर कर्त्यास या अर्जात गरज असल्यास वेळोवेळी भर टाकण्यास किंवा त्यात बदल करण्यास तसेच अतिरिक्त माहिती सादर करण्यास परवानगी देण्यात यावी.

सही/-

संचालक (वाणिज्य)
महावितरण